

Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 15 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

THE CONSTITUTION AMENDMENT BILL 1972

(To amend Article 174)

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की मुझे अनुमति दी जाय ।

The question was put and the motion was adopted

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूँ ।

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1972

(To amend Article 217)

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की मुझे अनुमति दी जाये ।

The question was put and the motion was adopted

श्री श्रीम प्रकाश त्यागी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित भी करता हूँ ।

THE DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL, 1968—Contd.

श्री सुल्तान सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, डा० महावीर ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है उस पर मैं अर्ज कर रहा था कि आज हिन्दुस्तान में आजादी के बाद दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी सबसे ज्यादा आबादी बड़ी है । जिस रेशो से यह आबादी बढ़ रही है उससे यह महसूस होता है कि दिल्ली

एक दिन, भारत की कैपिटल है इसलिए नहीं आबादी के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर बन जायगी । 25 सालों में जिस तेजी के साथ दिल्ली की आबादी बढ़ी है उसका कोई दूसरा शहर मुकाबला नहीं करता । इसके अलावा दिल्ली शहर हिन्दुस्तान की राजधानी है । यहां अगर जरा सी बढ़न्तजामी हो तो उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है । उपसध्यक्ष महोदय, आप खुद इस बात को मानते होंगे दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम बहुत नाकिश है । हम देखते हैं कि दफ्तरों से जब क्लर्क छुट्टी पाते हैं आधा-आधा घण्टा बस के इन्तजार में खड़े रहते हैं और फिर जब वे सुबह अपने घर से चलते हैं तो आधा-आधा पौना-पौना घंटा लाइन में खड़े होकर मुश्किल से बस हासिल करते हैं । इस तरीके से लोग दफ्तरों में आएँ, एक घंटा पहले घर से चले और एक घंटा बाद में घर पहुंचे, आधा-आधा, पौना-पौना घंटा लाइन के अन्दर खड़े रहें, सिर्फ बस लेने के लिए तो मैं समझता हूँ कि वे काम के अन्दर एफीशिएन्ट नहीं हो सकते, दिल लगाकर काम नहीं कर सकते । यही हाल विद्यार्थियों का है । आप कभी देखें, यूनिवर्सिटी कैम्पस में जब बसेज जाती हैं तो विद्यार्थी छनों के ऊपर चढ़ जाते हैं, खिड़कियाँ पकड़ कर लटकते हैं । इतनी बुरी हालत है कि महसूस होना है कि दिल्ली के अन्दर तो ठीक इन्तजाम होना चाहिए ।

दूध की हालत देखे । यहां एक-एक बूथ के ऊपर सौ-सौ आदमियों की लाइन लग जाती है दूध हासिल करने के लिए । उसकी भी हालत यह है कि एक दफा डा० महावीर दूध में चूहा डाल कर लाए थे ।

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : देखिए, महोदय, दूध में चूहा मारने नहीं डाला । दूध में चूहा डी० एम० एस० ने डाला । दूध में छिपकली निकली है, मक्खियाँ निकली हैं कूड़ा निकला है । Interruption

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : जिस मशीन में दूध भरा जाता है उसमें से मच्छर भी नहीं जा सकता।

डा० भाई महावीर : चौधरी साहब हरियाणा में आखें बन्द किये अपने घर बैठे रहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चौधरी साहब कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं आ सकता। अखबारों में छपा है कि मक्खी, कीड़ा, छिपकली निकले हैं और चूहा तो श्रीमन्, आप के सामने यहां लाकर के मैंने दिखाया। कोई कहे कि वह चूहा नहीं था तो फिर क्या था।

श्री मुलतान सिंह : उपसभाध्यक्ष, महोदय, डा० भाई महावीर अगर कुछ और समझते हैं तो मैं माफी मांगता हूं। वैसे उनके द्वारा उसका पता चला। जब वे चूहे वाली बोतल लाये तब मुझे पता लगा। उसके पहले मुझे उसका पता ही नहीं था।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहां की आप हालत देखिये कि कितने आदमी यहां लाइन में खड़े रहते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप महसूस करते होंगे कि भारत का कैपिटल जहां सारी दुनिया के दूतावास खुले हुये हैं और सारी दुनिया के लोग जो भारत देखने आते हैं वे पहले दिल्ली शहर में आते हैं ऐसे शहर के अन्दर न ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतजाम हो, न दूध का अच्छा इंतजाम हो, न पीने के पानी का अच्छा इंतजाम हो तो मैं समझता हूं कि यह दिल्ली के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए अपमान की बात है। हम दिल्ली को देश का शहर मानते हैं और दिल्ली वालों का शहर नहीं मानते हैं। इसलिए इस दिल्ली का विकास कैसे हो सके, दिल्ली की दिक्कतें कैसे दूर हो सकें इसके ऊपर सदन को बहुत ठंडे दिल से विचार करना चाहिये।

आप देखते होंगे कि आज दिल्ली शहर

जिस रेशो से बढ़ रहा है अगर यह उसी रेशो से बढ़ता गया तो इसके सामने एक मसला आयेगा जमीन का। बदरपुर से आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। पालम हवाई अड्डे से आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। नांगलोई से आगे हरियाणा शुरू हो जाता है। इसके चारों तरफ दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मील के बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। अभी परसों की बात है कि चंडीगढ़ की पेरीफरी के बारे में हम एक बिल लाये। उसी तरह से कुछ दिन बाद दिल्ली के सामने भी यही दिक्कत आयेगी और दिल्ली का विकास रुक जायेगा। जब दिल्ली का पूरे तीर पर विकास करना होगा तो उस वक़्त हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरी सरकारों की मदद के बगैर दिल्ली का विकास पूरा नहीं हो सकेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुये मैं डा० भाई महावीर से दरखास्त करूंगा कि वे दिल्ली का स्टेटहुड मांगने के बजाय इस दिल्ली के विकास का असल रास्ता तलाश करें। दिल्ली के विकास का असल रास्ता एक ही है कि आप जाकर के देखें हरियाणा के अन्दर। वहां सात-सात मील से ऊंटों पर लोग पानी लाते थे। लेकिन आज वहां 70-70 मील पाइप लाइनें लगा करके नलों से लोगों को पानी दिया जा रहा है। आज सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा की ट्रांसपोर्ट सर्विस फायदेमन्द भी चल रही। और एफिशिएंट भी है। इसी तरीके से दरियाय जमुना है जिससे इनको पानी चाहिये, हम को पानी चाहिये और थोड़ा उसमें उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है। वही एक रिसोर्स है हमारे पास जिससे हम बिजली ज्यादा पैदा कर सकते हैं दिल्ली और हरियाणा के लिए और जिस से हम पीने का पानी ले सकते हैं। अगर दिल्ली का ठीक इलाज वे चाहते हैं, तो उसका इलाज एक ही है दिल्ली शहर हरियाणा के हवाले किया जाये।

और अगर इसमें आप दुःख मानते हैं कि दिल्ली हरियाणा के हवाले किया जाय, तो मैं आपको आफर करता हूँ कि हरियाणा को दिल्ली के हवाले कर दिया जाय ताकि दिल्ली के विकास में रुकावट न आये। आज मैं देखता हूँ कि कितनी बुरी हालत है दिल्ली के देहात की। आप देखें कि दिल्ली के देहातों की क्या हालत है। एक पोंग डैम हमारे देश में बन रहा है उसके जो आउस्टी हैं उनको हम कंपेंसेशन दे रहे हैं और उसके साथ साथ राजस्थान में जमीन दे रहे हैं, लेकिन डा० भाई महावीर बतायेंगे कि जिन गाँवों को उठा कर यह खूबसूरत शहर बनाया जा रहा है, जहाँ किसी को उजाड़ कर खूबसूरत इमारतें बनायी जा रही हैं। क्या दिल्ली का प्रशासन उन लोगों को ग्राटरनेट जमीन दे सकता है, क्या वह उनको एग्रीकल्चरल लैंड दे सकता है और जिन लोगों ने सदियों से खेती का काम किया, और जिनके पुरखा खेती का काम करते रहे, क्या आज मिनटा-मिनटी में वह अपने प्रोपेशन को चेंज कर सकते हैं? दिल्ली के पास तो लैंड नहीं और दिल्ली के विकास के लिए लैंड चाहिए। तो नतीजा यह है कि दिल्ली का देहाती आज बुरी तरह से तंग है। किसी गांव के अन्दर आप जा कर देखें, आप खुद महरीली जायें आपको हीज खास वगैरह में खूबसूरत इमारतें मिलेंगी और उन के बीच में आप को छोटा सा स्लम मिलेगा। जो गांव सदियों से वहाँ बसता था उसके चारों तरफ की जमीन तो डी० डी० ए० ने ले ली और उन लोगों को उजाड़ दिया। चारों तरफ खूबसूरत इमारतें खड़ी कर दी, सड़कों का इंतजाम कर दिया, सीवरेज का इंतजाम कर दिया और उस बीच में एक छोटा सा गांव इतनी बुरी हालत में है कि देखा नहीं जाता। आप पालम हवाई अड्डे पर जायें, जब आप हवाई अड्डे में दाखिल होंगे, तो एक छोटा सा गांव आप का सामने नजर आयेगा। उस सारे गांव के चारों तरफ सरकारी इमारतें बन गयीं लेकिन वह

स्लम बीच में नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली का विकास हो, अगर डा० भाई महावीर चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सुख मिले, तो राधा रमण जी अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जायें, तो दिल्ली के रिसोर्सेज कैसे बढ़ जायेंगे, दिल्ली का पानी कैसे बढ़ जायेगा। हम चाहते हैं कि वह मुख्य मंत्री बनें और हमारे तो मुख्य मंत्री आज भी हैं ही, लेकिन अगर मेट्रोपोलिटन काँसिल के मेम्बर को हम एम० एल० ए० कहने लगे, तो दिल्ली में दूध कैसे बढ़ जायेगा। तो स्टेटहुड होने से ही दिल्ली की समस्या हल नहीं होगी। मैं नहीं जानता कि वह किस दुनिया में रहते हैं। और दिल्ली के विकास का एक ही इलाज है। आज कलकत्ते का विकास क्यों हो रहा है। वह एक बहुत बड़े स्टेट का कैपिटल है। बम्बई का विकास क्यों हो रहा है, वह एक बहुत बड़े स्टेट का कैपिटल है। दिल्ली का विकास क्यों नहीं हो पाता इसलिए कि दिल्ली इटसेल्फ एक छोटा सा सिटी है। शहर बहुत बड़ा है लेकिन उसके विकास की जगह बहुत छोटी है। उसके विकास के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ दूध की कमी है। बम्बई के अन्दर आरा मिल्क सप्लाय बनी, कलकत्ता में हार्नडाटा में मिल्क की स्कीम है और दिल्ली में लोग चोरी से चार-चार, पांच-पांच भैंसें रखे हुए हैं। जिस गली में देखिये आप को गायें भैंसें घूमती हुई मिलेंगी। दिल्ली के प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है कि कहीं दो-चार हजार जानवरों की जगह बना दे जैसा कि बम्बई या कलकत्ता में किया गया है। इस तरह की कोई योजना आज तक दिल्ली के सामने नहीं आयी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू) : आप को कितना समय और चाहिए ?

श्री सुलतान सिंह : जितनी देर में वह समझ जाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) : आप पांच मिनट में समाप्त कीजिए ।

डा० भाई महावीर : अगर हम को समझाने की बात उनके दिमाग में है, तो उनको पांच बजे तक बोलना पड़ेगा ।

श्री सुलतान सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बम्बई के अंदर आरा मिल्क सप्लाई है, कलकत्ते में हार्नडाटा है और दिल्ली के चारों तरफ दूध की कोई कमी नहीं है, आप कभी देखें कि दिल्ली मिल्क सप्लाई ने गुड़गांव के अन्दर, फरीदाबाद में, अबोहर में, नांगलोई में, सोनीपत में, जगह जगह अपने चिलिंग प्लांट लगाये हैं । खरकौदा कम से कम 50-60 चिलिंग प्लांट दिल्ली के आसपास हैं, उन पर इनवेस्टमेंट पूरा हो गया है और कई साल से वे चिलिंग प्लांट खाली पड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं । यह प्लांट दूध ठंडा करने के लिये लगाये हैं दिल्ली मिल्क स्कीम ने और ये दस साल से खाली पड़े हैं, रुपया उनमें इनवेस्ट कर दिया है, लेकिन वहां कोई दूध आता नहीं है और दूसरी तरफ हालत यह है कि हरियाणा के लोग कम से कम 10 करोड़ रुपये के पशु हर साल बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में भेजते हैं और कलकत्ता के अन्दर जो पशु जाते हैं वह वापस नहीं आते । जो कलकत्ता इतनी दूर है वहां तो हरियाणा का दूध और पशु जा सकता है लेकिन दिल्ली जो कि हरियाणा के साथ है उसमें दूध नहीं मिलता और उसका कारण यह है कि दिल्ली शहर का प्रशासन दिल्ली शहर का इंतजाम, दिल्ली की मिल्क सप्लाई स्कीम जो है वह अभी तक ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रही है ।

तो, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत डा० भाई महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब बातों का उनको खुद तजुर्बा है । यहां साहबी नदी का पानी है, ड्रेन नं० 8 का पानी भी है और ढांसा बांध का भगड़ा चलता रहा है

और हर साल दिल्ली शहर डूबता रहा है उस पानी से और दिल्ली प्रशासन उस ड्रेन को नहीं खोद सका, उस ड्रेन को हरियाणा की सरकार ने खोदा, हरियाणा इंजीनियर्स ने खोदा ।

इसी तरीके से सी पावर प्लांट है, इसको पानी चाहिये था । इसके लिये बराज दिल्ली प्रशासन नहीं बना सका और हमारी हरियाणा सरकार और हमारे इंजीनियर्स ने उस बराज को बनाया । इसी तरीके से कितने काम हैं जो कि दिल्ली प्रशासन नहीं कर सकता । वाटर सप्लाई के लिये दस साल से स्कीम मंजूर है लेकिन हाथ नहीं लगाया । उसका कारण यह है कि हमारे इंजीनियर्स पर विश्वास नहीं करते और खुद यह काम करते नहीं । तो इसका एक मात्र इलाज एक ही है अगर दिल्ली को ठीक पीने का पानी चाहिये, दिल्ली को दूध चाहिये, दिल्ली को अच्छा ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम चाहिये, दिल्ली को अगर हिन्दुस्तान का एक खूबसूरत शहर बनाना हो जिससे कि यह विकास कर सके, आगे बढ़ सके तो इलाज एक ही है कि शहर को हरियाणा के हवाने किया जाय . . .

श्री रणवीर सिंह : पुरानी दिल्ली को ।

श्री सुलतान सिंह : . . . ताकि हरियाणा को कैपिटल की जरूरत नहीं रहे और हमारा चंडीगढ़ का भगड़ा खत्म हो । इस तरह पंजाब भी पूरी तरक्की कर सकेगा, आपकी भी तरक्की हो जायगी और हमें कैपिटल नहीं बनाना पड़ेगा । आप खुद स्टेटहुड की बात करते हैं ।

डा० भाई महावीर : पहले हरियाणा के अन्दर रोहतक को तो खूबसूरत बना लीजिये आप ।

श्री सुलतान सिंह : इसके अलावा एक अर्ज करूंगा । आज दिल्ली में और हरियाणा में पानी की बड़ी दिक्कत है और वह इसलिए दिक्कत है कि एक दरिया है हमारी यमुना ।

सतलुज के ऊपर डैम बना, व्यास के ऊपर डैम बना, आज हिन्दुस्तान की जितनी दरियाये हैं उनके ऊपर डैम बन रहे हैं लेकिन यहां नहीं। यमुना में एक दिक्कत है। वह क्या दिक्कत है? बरसात में दरिया यमुना में 3 लाख क्युसेक्स पानी चलता है और उससे रोजाना दिल्ली को खतरा रहता है और जब गर्मी का मौसम आता है तो यमुना दरिया के अन्दर 3 हजार क्युसेक्स से ऊपर पानी कभी नहीं होता। उस वक़्त यहां पानी की दिक्कत हो जाती है। तो इस खूबसूरत शहर के लिये, हिन्दुस्तान के कैपिटल के लिये एक बात जो चाहिये वह यह है कि यमुना दरिया का ठीक उपयोग हो। एक किसान जगह है उत्तर प्रदेश में उस प्राजेक्ट का इन्वेस्टीगेशन हो चुका है, आज से छः साल पहले कई बार वह चीज सामने आई लेकिन आज तक उस डैम के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। मैं डा० भाई महावीर जी से भी प्रार्थना करता हूं कि अगर दिल्ली को बरसात के मौसम में फ्लड्स से बचाना चाहिए तो आप लोगों को यह पार्लियामेंट हाउस पर पथराव करने की बजाए किसान डैम के लिए आंदोलन करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है लोगों की कारों पर पथर मारने से। आप मांग करें, जमुना नदी में किसान डैम पड़ना चाहिए। अगर किसान के ऊपर डैम पड़ा तो 8 करोड़ रुपये जो डी० ई० एस० यू० का है भाखड़ा मैनेजमेन्ट के ऊपर और सालों से आप नहीं दे रहे हैं, इस तरह की दिक्कत बटनी जाएगी और नतीजा यह होगा कि यह दिल्ली बिजली के बगैर रह जाएगी। अगर किसान डैम बनेगा तो दिल्ली को पूरी बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा और फ्लड के दिनों में दिल्ली डूबने से बचेगी।

तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत डा० भाई महावीर से प्रार्थना करता हूं कि बाबा, यह जो एजिटेशन रोज करते हैं, कभी दूध में चूहा डाल रहे हैं, कभी छिपकली काट रहे हैं,

कभी शिमला पैकट पर काट दिया, कभी भुखमरी पर काट दिया—इन बातों के अलावा कोई कन्स्ट्रक्टिव्ह रास्ता अपनाइए जिससे दिल्ली का विकास हो सके, दिल्ली का सुधार हो सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The House stands adjourned till 2. 30.

The House then adjourned for lunch at seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock. THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) in the Chair.

SHRI MANUBHAI SHAH (Gujarat) : I am glad to participate in this debate on the non-official Bill moved by my friend Dr. Bhai Mahavir. When I was reading the text of this Bill and the speeches made by the hon. Members, particularly from the Jan Sangh side, I was wondering why occasionally and periodically they have raked up this issue, particularly after they had been completely routed from the public life of this great city. One reason given—and it has been repeated both here and outside this House—is that their attempt to amend the present constitution of the Delhi Administration is based on the theory that when they have nothing else to do, they can beat their own drums so that all their faults done in the past can be covered. That seems to be the case here. A complete debate had taken place in this august House and in the other House when the Delhi Administration Bill was moved by the Government and that measure was in fact passed with a great majority. The Administrative Reforms Commission which went into the constitution of the Delhi Administration also did not want any change. If you see the substance of this Bill, the idea is to convert Delhi into a full-fledged State like any other State with a regular elected Legislative Assembly, the Governor instead of the Administrator and a regular Council of Ministers and all that. The method of administration in the capital cities in various parts of the world had also been fully debated in this House and the Minister of State in the Home Ministry had very clearly explained why in a City where

[Shri Manubhai Shah]

the Central Government is also located along with the local administration, where both of them co-exist, certain lines of demarcation should be there so that clash of authorities does not take place. There is a Municipal Corporation in Delhi with all the powers of a Corporation; there is a New Delhi Municipal Committee and there is the Metropolitan Council. If I may be excused of reading the political motive behind this measure. I would put it this way. Before the Congress came to power with a massive mandate in the Metropolitan Council elections, the Jan Sangh was trumpeting their good deeds so much that they never thought that any other party would be returned to power in Delhi. But people know what was happening and to their surprise they were routed. They were speaking of their good deeds. What was the state of affairs in the Civil Supplies Department? I have certain amount of knowledge of its working having been connected with it for many years in the past. The state of affairs there was rotten. The Jan Sangh administration was campaigning that they would do everything for *Jhuggi-Jhopri* dwellers and they would provide various type of benefits and amenities to all the Saranar this particularly coming from Punjab. These amenities were totally absent. They were only concerned with filling posts with people who were committed to their ideology in a manner that they were out to subvert the entire administration of Delhi so that the Congress Party which has given the country a socialistic and secular base in this wide country—they hole. When they found that they have lost their base in this wide country—they have lost mandate elsewhere also—they are doing these things now. And, Sir, particularly during the last four months, I know, what the Executive Councillors and the Chief Executive Councillor, Shri Raman, have been trying to do, Shri Raman has been trying to clean the Augean's stable of the Administration where all the Boards, the Chairmen and the Managing Committees were of only one particular colour and I do not want to mention it. It is well known to this House and I do not want to go into the details. You choose, you pick and choose, a handful of men with hardly any competence and brilliance in the academic sphere. These people were selected

and they were selected because they were tied to a particular mode of thinking. We do not mind it. After all, the party in power can do it. But, with what face? When the present administration is coming to grips with the whole problem and trying to give a proper democratic and progressive outlook to the educational system, they are perturbed. When my friend, Shri Bahal, who is in charge of the Civil Supplies Department, started attacking the hoarders and the profiteers and raided them, friends of Dr. Mahavir and others, all those were merely on the side of the vested interests here and every section of consumers in this City, in this area, suffered. Coal was not available and coal was given to a certain number of people only. Wine shops were given to a favourite few and various other things happened. So is the case with tyres and tubes and the Food Administration was almost in the hands of certain monopoly interests. When they started raiding their shops and when they started punishing the blackmarketeers, all of a sudden, the love for democracy of a party which is well-known for its anti-democratic functioning came to the fore and this Bill has been brought forward in this House and if I may use the word, it is the product of their thinking for which I do not blame Dr. Mahavir, because he has done it in his natural instinct to serve the people, to do something to over-democratise it or to get more powers for it. The powers are vested there. I am not saying that diarchy or a multi-faceted system is the best system. The circumstances of Delhi are known which this honourable House had the opportunity to debate upon for three long years and which were gone into by the Administrative Reforms Commission and also by various other Committees and Boards. The whole issue was examined. The Transport Undertaking has been converted now as the Administrative Reforms Commission wanted it. There is also a proposal for establishing a water and Sewage Disposal Board as recommended by the Administrative Reforms Commission. I would say that the Home Minister and the Central Government have been quite awake to the problems of Delhi. I am surprised that the Prime Minister herself, who is loaded with too many other problems, could afford to pay more attention to the problems of Delhi, to the political and

administrative requirements of Delhi than perhaps she could afford. That is because of the fact that a metropolitan area must be an area where more important and progressive work can be accomplished which can serve as a pilot project area for the rest of the country. Therefore, I really appeal to the honourable Members and this House to see what this Bill has come to. You take the Bill and see. I do not want to go clause by clause. It is purely going back by four or five years when the people were agitating for a responsible Government for Delhi. Now, it was examined and with the full consent of the House the Act has been formulated. There was another argument also that a nominated person has been made the Chief Executive Councillor which should not be done. I was really surprised. You see the history of the Jana Sangh administration. I am not willing to bring it into the focus. I have to name the party which I have the least intention of bringing into focus. But, Sir, I cannot help doing so when this attack is made. The Chief Executive Councillor can be also a nominated member. What was my friend, Shri K. N. Sahani? Then, the present Mayor, Shri Hans Raj Gupta, is a nominated member. What was the position of Shri Lal K. Advani? There is a provision in the Constitution passed by this honourable House for the Delhi Metropolitan Council that there will be a Metropolitan Council in which there will be five nominated members. The Government, in its wisdom, out of the majority of 47 members of the Delhi Congress party, democratically elected their leader. Nobody has questioned this in any State. It is for the first time that I see the great liking of the party opposite for a democratic process after having done all these things! What is the great point in saying that the Chief Executive Councillor must be elected and must be also elected by the majority party? The majority has elected the Executive Councillors.

I know, Sir, that there are many faults and that many improvements are to be made which are necessary. But, these improvements cannot be accomplished by Dr. Bhai Mahavir's proposals in his Bill. There are greater progressive programmes. As a matter of fact I have seen myself in many of the meetings—they are trying to

see that many amenities are provided in the *jhuggi-jhonpuri* areas. How the urbanized rural area of Delhi, which is suffering the most, is unable to build cheaper houses for a large number of people who have been otherwise uprooted, who are living in 'jhonpries'.

If you take, Sir, every aspect of Delhi administration in the last few months—9 months which have gone by—the present administration has accomplished much more than the previous administration. I do not hold any brief for a particular group of people. But merely to say that there are dissensions is not the correct way. Which party has not got dissensions? We hear Mr. Sondhi and Mr. Balraj Madhok with a different voice. Of course, if there is greater democracy, greater discipline of a political character will come in every party. Therefore, merely saying that the kettle is black is something which does not suit anybody.

DR. BHAI MAHAVIR : Who talked of dissensions? It is too common in your party?

SHRI MANUBHAI SHAH : I am not replying to what you said here. I am merely pointing out that you have been propagating this type of activity throughout the length and breadth of Delhi, in your newspapers and everywhere else. Therefore, I am taking the time of the honourable House to acquaint them what are the motivations and stimulations behind this innocent looking Bill which will try to attract other parties who would say : Oh, Dr. Bhai Mahavir wants to democratise the constitution of Delhi. We have no objection to that in theory. But I can tell you that present set-up gives all the flexibility. I may only request my hon. friends, Mr. Mirdha, Mr. Pant and the Prime Minister that it is necessary that more and more informal arrangements should be so made that whether public opinion is to be reflected on reserved subjects—for instance, law and order is a reserved subject—that is not given to the present Executive Council. There are very sound reasons for it, because the capital city is a part of both the Central Government and State Government. But there can be informal methods of coordination

[Shri Manubhai Shah]

between the Home Ministry here, the Lt. Governor and the Chief Executive Councillor and his four colleagues, so that even though we have not been able to confer on them the right of a regular Minister or Cabinet, they can avail of the wisdom and experience of the public and also of the Congress Party and their Councillors. It may be the Congress Party today and some other party tomorrow. I am not pleading for any particular set of people. But there can be co-ordination even in reserved subjects which can achieve the goal which the Bill obviously seeks to achieve.

If you go in depth into the Bill, it is a mere hoodwinking. Having lost all the mandate and popularity, they are merely trying to bring forward something for the welfare of the people of Delhi. The people of Delhi have known their party very well. They have taken note of the type of corruption and nepotism and the type of poison that they have brought into the services in the whole of Delhi. But we shall be able to bring a really clean and a purer administration in Delhi.

On the various other aspects of the Bill also, I can say that as far as the programme is concerned, we are for inviting—as far as I can see from my party's angle—those who are interested in Delhi for consultations, so that there can be a common approach in relation to various matters, such as the amelioration of 'juggi-jhonpries', Harijans, the scavengers in the city and so on. Therefore, if Dr. Bhai Mahavir and his associates are really interested in the welfare of Delhi, there are ample opportunities under the present administration also; their voice will be heard.

Lastly, Sir, what I say is this : Let the Act which the two hon. Houses have just passed, just recently, be given a fair trial. I can say from what is happening that there is entirely every possibility of a much better administration than the Jan Sangh administration. The Congress Party has given a cleaner administration. Within a short period the excise revenue has gone up by Rs. 2½ crores. I was surprised. Mr. Mange Ram brought a new administration. Although the Jan Sangh was

talking aloud, they never acted. He brought a new licensing system, increased the excise and done away with some existing liquor shops. If I have my say, I would go a step further. These steps have reduced monopoly. I would say : Let there be governmental shops of wines and liquor. Greater revenue would come to the Government, which would be used for the betterment of the poor people, and the malpractices and corruption of monopolists and contractors can be reduced. I am also very glad that Mr. Bahl took away the entire pool from those vested interests and gave nearly 50 per cent of it to the Bharat Coal Corporation which will be the managing distributor here in due course. I know Mr. Bahl and perhaps much more trade would be taken over, particularly in the essential commodities of life because in the capital we should see that the consumers are properly served like in any other part of the country and better amenities provided.

In the D. D. A. also much progress has been made in the last few months and they are selecting special areas where construction of cheap houses will be taken up. As a matter of fact, very huge provisions made—I do not remember the actual figures—and it is something like Rs. 21 crores or Rs. 24 crores which is provided for the construction of houses, because I had occasion to examine the budgetary provisions which Mr. Mange Ram moved last time. Therefore, I can say from whatever experience I have got that the administration is wide awake to the problems of Delhi, particularly when we are wedded to the socialist programme to see that the backward people and the unemployed people are given greater relief and greater amenities of life, to see that a large number of houses are constructed and various other amenities are provided to these people who are till now denied them.

In the field of education also great reforms are coming up. More recommendations of the Commission and other bodies are being taken into account. The boards are being cleansed.

Mr. Krishan Swarup—I saw it in the papers and also had a personal talk with him—is bringing out for the labour an

entire training centre for job orientation and some sort of trade union activities also to that better relations between the trade unions and the industries could be established.

These are only some broad outlines that I can give. I can only say that the claims put up by the hon. Member opposite are hollow. They are merely based upon a theory that if you do not get anything at least you fight for something in a loud way so that the people will hear and get you something, but this House is not going to be duped in that way. Therefore, I would request the hon. House that this amending Bill which is contrary to the wishes expressed by the hon. House here should be thoroughly rejected.

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से अपने दोस्त श्री मनुभाई शाह की स्पीच सुनी। हमेशा बड़े फैक्ट्स और फीगर्स के साथ बोलते आये हैं और यह उन की आदत है और उन की स्पीच में कोई इर्रिलिवेंट बात नहीं होती। जो कुछ उन्होंने कहा मैं उस के बहुत से अंश से सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने मित्र को यह बताना चाहूँगा कि इस बिल के जरिये से किसी पार्टी का सवाल नहीं उठता है। हमारे दोस्त मनुभाई शाह ने ज्यादातर जोर जनसंघ वगैरह के तरीके पर डाल दिया और आज यह आम तौर से ट्रेजरी बेंच का रिवाज हो गया है। जनसंघ हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, मैं उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं मानता। मेरी राय में तो इस बिल पर निगाह डालनी चाहिए बिना किसी रंगीन चश्मे के, इस को आप खुली हुई नीयत से देखें। सारे देश में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बाबत लोगों को कुछ अधिकार मिले हैं, हर प्राविंस को अधिकार मिले हैं और केन्द्र को अधिकार मिले हैं। तो केन्द्र का अकेले दिल्ली के साथ ही नहीं दूसरे राज्यों के साथ भी अच्छा बतवि होना चाहिये और है, और उन को करोड़ों रुपयों की मदद अलग अलग दी जाती है। तो

यह बात कि दिल्ली को कुछ मदद दी गई, उस के लिये कुछ रुपया खर्च किया गया, यह अकेली बात काफी नहीं है। मैंने माना कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा बना दिया, लेकिन उस के बाद भी हर शहर के सिटीजन्स को कुछ लोकल गवर्नमेंट के अस्तित्व मिले हैं। हमारे यू० पी० में, या पंजाब में या हरियाणा में जो वहाँ के लोकल सवाल हैं उन के वास्ते हमारे नुमाइन्दे जिम्मेदार हैं और वहाँ अपने नुमाइन्दों द्वारा हम अपनी शिकायतों को दूर करा सकते हैं, परन्तु दिल्ली 1947 के पहले एक प्रान्त बना हुआ था उस में हरियाणा का कुछ हिस्सा था और कुछ दूसरे प्रान्तों का हिस्सा मिला हुआ था। उस के बाद जब आजादी आयी तो दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेम्बली मिली और वह काम करती थी। उस में चाहे जनसंघ वाले हों या आप की पार्टी वाले हों या पी० एस० पी० रही हो, इस से हम को कोई मतलब नहीं। अगर गलत पार्टियाँ आयेंगी तो नुकसान पहुँचेगा, अच्छी पार्टी आयेगी तो लाभ पहुँचेगा। फर्ज कीजिये कि यहाँ मैं नुमाइंदा होता तो जनसंघ पार्टी के खिलाफ मैं भी अपने उम्मीदवार खड़े करता क्योंकि मुझे जनसंघ से मतभेद है। लेकिन जनसंघ पावर में हो या कांग्रेस पावर में हो या कम्युनिस्ट पावर में हो इस बिल का विचार करते वक्त इन बातों पर नहीं जाना चाहिये क्योंकि यह जरा नेरो विजन होगा। हमको उदारतापूर्वक सोचना चाहिये कि हिन्दुस्तान भर की जितनी जनता है सब को अधिकार मिला है लेकिन दिल्ली वालों को ही अकेले नहीं मिला है। अब, केन्द्रीय सरकार के मिनिस्टर्स जितने हैं वह तबज्जह दे सकते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर से यह उम्मीद करना कि वह दिल्ली की प्राबलम्स के ऊपर तबज्जह कर सकें तो यह नामुमकिन है, उनके पास हिन्दुस्तान भर के सवाल हैं, फारेन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप

[श्री महावीर त्यागी]

के सवाल हैं, तमाम हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी है तो यह नामुमकिन है कि वह तबज्जह दे सकें। जैसे कि शाहदरा में हुआ, जिस तरह से औरतों और मर्दों का पीटना, मकानों के अन्दर पुलिस का घुसना, लोगों को मारना, यह सारा तमाशा हुआ, अगर पुलिस का अधिकारी वह मिनिस्टर होता जिस पर कि शाहदरा वालों का अधिकार होता, शाहदरा वालों के नुमाइंदों के हाथ में वह चीज होती, तो मुझे आशा है कि चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो इस किस्म की हरकत नहीं हो सकती थी। तो शाहदरा वालों को दिल्ली वालों को कोई अधिकार ही नहीं है, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है।

यों इस बिल के अन्दर बहुत सी बातें हैं जिनसे मुझे भी सहमत नहीं है, अगर बिल पर विचार हो तो मैं भी कई अमेंडमेंट पेश कर सकता हूँ लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ कि डा० भाई महावीर ने जो बिल रखा है उसका उद्देश्य दिल्ली की जनता को वही अधिकार देना है जो कि हिन्दुस्तान की बाकी जनता को मिले हुये हैं। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिये इस बिल का जहाँ तक यह उद्देश्य है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर फर्ज कीजिये कि केन्द्रीय सरकार को दिक्कत पड़ती है कि कैपिटल सेंटर के हाथ में रहना चाहिये तो रख लें, नई दिल्ली के हिस्से को अलग कर लें, मैं यह समझ सकता हूँ लेकिन पुरानी दिल्ली में तो तमाम बिल्डिंग बनी हुई है, असेम्बली हाउस भी है, सब सामान मौजूद है, वहाँ कोई कठिनाई नहीं है। नई दिल्ली वाला जो केन्द्र का कैपिटल है इसको अलग कर सकते हो अगर यह लोग तैयार हों। बहरहाल इसका कोई रास्ता निकाल सकते हो। लेकिन सारी दिल्ली के लाखों लोगों को, सारी आबादी को, उनके अधिकारों से वंचित

रखना यह मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। उन्हें पहले यह अधिकार मिला था लेकिन फिर इन्हें उससे वंचित कर दिया। तो पार्टी पालिटिक्स के हिसाब से इस पर विचार करना बड़ा गलत होगा। मेरी राय में उदारतापूर्वक यह देखना चाहिये कि दिल्ली की जनता को यह अधिकार दिये जाय या न दिये जाय। मुझ इसके साथ सहमत इस वजह से और ज्यादा हुई कि मैंने अभी जो हाल शाहदरा में देखा। इसी तरह से और जगह चलेगा। यह हवा अब चल पड़ी है। केन्द्रीय सरकार इसको नहीं रोक सकती। अलग अलग सरकारों के हाथ में ला एण्ड आर्डर है, वह ही इसको कंट्रोल कर सकती हैं। अगर यहाँ भी केन्द्र के हाथ में न होता तो शायद अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता।

मेरे भाई मनुभाई शाह ने बहुत सी बातें कहीं हैं जिनसे मैं सहमत हूँ, केन्द्रीय सरकार ने ऐसे काम किये हैं जिनसे दिल्ली का उद्धार हुआ है इसमें कोई शक नहीं, उसका मैं उनको क्रेडिट देता हूँ लेकिन इसके माने यह नहीं है कि उनके अधिकारों से आप इंकार करें, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट अच्छी है इसलिए उनके अधिकारों की कोई चिन्ता न की जाय! कल को आपकी गवर्नमेंट खराब होगी तो क्या होगा?

इसलिये मेरा कहना यह है कि इस बिल पर विचार करते हुये देखना यह चाहिये कि एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते दिल्ली के नागरिकों को भी वही अधिकार हों जो कि हरियाणा के, पंजाब के, यू०पी० के नागरिकों को है, उनको क्यों वंचित रखा जाय। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि बिना पार्टी लिहाज के इस विचार को सामने रख लें। अगर अभी इरादा नहीं किया है तो सोचें, मैं डा० भाई महावीर से भी कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट यह कहे कि इस विषय पर वह विचार

करने को तैयार है तो वह बिल को वापस ले लें और गवर्नमेंट को मौका दें कि इस बिल पर विचार कर के, विरोधी दलों से परामर्श कर के, वह अपने से ही कोई ऐसे निर्णय पर आ जाय। ऐसी बात नहीं है कि आंख मींच कर मैं इस बिल को सपोर्ट करता। यह मेरी राय नहीं है। लेकिन अगर बिल आएगा तो उसकी एक एक बात पर, मेरिट्स पर, विचार किया जाएगा, कि क्या असर पड़ता है। लेकिन इसका उद्देश्य जो है उसको मैं सोलह आने सपोर्ट करता हूं। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि बजाए इसके कि प्रेस्टीज का सवाल बनाएगी, पार्टी का सवाल बनाएगी, और यह सोचेगी कि नान आफिशियल बिल है, इसको हरा दें, मेरी राय में गवर्नमेंट चाहे तो अपनी तरफ से बिल लाए, हाऊस इस मामले में विचार करेगा, विरोधी दल के नेताओं से और दूसरे लोगों से आपस में मिल कर विचार करे। ऐसी बात हो तो इस बिल के ऊपर विचार अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, यह मैं तजवीज करूंगा।

श्री भूपेन्द्र नारायण मण्डल (विहार) : उपाध्यक्ष महोदय जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करना हूं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा अखरती है वह यह है कि दिल्ली में पहले लेजिस्लेटिव असेम्बली थी, वह लेजिस्लेटिव असेम्बली उठा दी गई—क्या कारण है? कारण मेरी समझ में नहीं आता। क्या वह कारण तो नहीं है कि यहां पर जिस समय वह लेजिस्लेटिव असेम्बली थी उस टाइम के चीफ मिनिस्टर चौधरी ब्रह्म-प्रकाश थे? क्या चौधरी ब्रह्म प्रकाश ऐसा आदमी ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हो सकता है, इसकी सभावना को देख कर ही वह लेजिस्लेटिव असेम्बली हटायी गई है? हमको शक होता है कुछ वैसी भी बात हो सकती है क्योंकि उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, वह होम मिनिस्टर कौन थे? वे वही आदमी

थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव्ह असेम्बली को उठाया है, वह वही होम मिनिस्टर थे जिन्होंने बैंकवर्ड कमीशन, जिसको राष्ट्रपति ने कायम किया था कांस्टीट्यूशन के मुताबिक, उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट की मेज तक नहीं आने दिया, वे वही होम मिनिस्टर थे जिन्होंने बैंकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को आज तक इस हाऊस के सामने आने नहीं दिया है। हम समझते हैं, जिस दिमाग से उसको नहीं आने दिया गया शायद वही दिमाग काम करता हो यहां दिल्ली की लेजिस्लेटिव्ह असेम्बली को भी उठाने में। दूसरी बात, दिल्ली की स्थिति खुशनासीबी से या बदनसीबी से एक ऐसी जगह में है जिस जगह के लोग देश की सुरक्षा के लिये हमेशा तत्पर रहते हैं—यहीं पंजाब है, यहीं हरियाणा है, यही यू० पी० का पश्चिमी भाग है, यहीं राजस्थान है, और यही जो एरिया है इस एरिया के ऊपर सबसे बेसी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की भी रहती है। और जो शहर के रहने वाले लोग हैं वे इतने पढ़े लिखे हुये हैं कि जो सिर्फ आंख मूंद कर किसी को बोट दे देंगे ऐसी बात नहीं है। इसलिये किसी के सेन्टिमेंट को उभाड़ कर या कुछ दूसरी बात पर यहां वोट पा लेना आसान नहीं है। हम समझते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चलाने वाले जो लोग थे, उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, उन लोगों ने देखा कि जिस ढंग का शासन हम लोग इस देश में चलाना चाहते हैं, जो पुराना बर्चस्व अपर कांस्टीट्यूशन का इस देश के ऊपर था उसको कायम रखने के लिये कुछ करना जरूरी है और उसी करने के सिलसिले में जिन 2 बातों का हमने जिक्र किया है—बैंकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने नहीं आने देना और दिल्ली से लेजिस्लेटिव असेम्बली का उठाना—उसका भी वही कारण हम समझते हैं, और वे यह समझते थे कि अगर यहां पर लेजिस्लेटिव्ह असेम्बली होगी तो उसके पावर्स निश्चित रूप से आज जो

[श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल]

मेट्रोपोलिटन काउंसिल है उससे बेसी होंगे।
3 P. M.

आखिर लेजिस्लेटिव असेम्बली और पार्लियामेंट, ये क्या है ? इन दोनों में पावर बांट दी गई है और हिन्दुस्तान की जनता का जो अधिकार है, उस अधिकार को दो भागों में संविधान के जरिये से बांट दिया गया है। एक भाग तो केन्द्र को पार्लियामेंट के रूप में दे दिया गया है और दूसरा भाग प्रान्तों में असेम्बली के रूप में दे दिया गया है। इन दोनों जगहों में जनता के जितने भी अधिकार हैं वे सब इन दोनों को दे दिये गये हैं। जहाँ कहीं भी अधिकार है वे वह केवल इन दोनों संस्थानों के पास से ही जाता है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट यहां पर लेजिस्लेटिव असेम्बली इसलिए बनाना नहीं चाहती है क्योंकि वह समझती है कि अगर इस प्रकार का अधिकार दे दिया जायेगा तो उसके हाथ से दिल्ली का अधिकार चला जायेगा। लेकिन जब जनतंत्र चलता है तो जनतंत्र में कोई गुलाम का तंत्र नहीं होता है। जनतंत्र बराबर के लोगों का तंत्र है। जहाँ यह चीज समझी जाती है कि हर जनता बराबर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ऐसा नहीं समझा जाता है, चाहे घन की वजह से हो, विद्या की वजह से हो, पोलिटिकल पावर की वजह से हो या फिर किसी पावर की वजह से किसी ने कोई वस्तु हासिल कर ली हो और इसलिए वह नागरिक के रूप में बड़ा हो गया तो ऐसी बात जनतंत्र में नहीं होती है। एक आदमी जिसने इस तरह की पावर हासिल न की हो, वह छोटा रहेगा, ऐसी बात भी नहीं है। सब बराबर है। हिन्दुस्तान की जो सम्पत्ति है वह साढ़े पचपन करोड़ जनता की है और उसमें सभी का समान अधिकार है। हिन्दुस्तान की चुनी हुई सरकार, चाहे वह दिल्ली की सरकार हो या फिर किसी प्रान्त की सरकार हो, उस

का काम है साढ़े पचपन करोड़ जनता से बराबरी के आधार पर सब लोगों से मेहनत लेना ; और जो कुछ भी घन साल भर में पैदा हुआ है और जो कुछ सेवा सरकार जनता को देना चाहती है उसको बराबर के आधार पर सब लोगों में बांट देना चाहिये। इस तरह का इन्तजाम जनतंत्र में चुनी हुई सरकार को करना चाहिये, लेकिन केन्द्रीय सरकार इस ढंग का शासन करना नहीं चाहती है ; और उसने अब तक वसा किया भी नहीं है।

आज दिल्ली के ऊपर बेहद खर्चा किया जाता है। दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जनसंघ का भी हाथ रहा है, मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन आज जो एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस का है, उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कोई यह कहेगा कि दिल्ली में इतनी तरक्की हुई है जब कि यहां पर जनसंघ का एडमिनिस्ट्रेशन था। कनाट प्लेस में पत्थर के फवारे लग गए हैं, शहर के अन्दर और भी जगह फवारे लगा दिये गये हैं और शहर को बहुत सुन्दर बना दिया गया है। मैं इन चीजों को देखकर खुश नहीं होता हूँ। लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी चीज बना दी गई है जिसको देखकर बाहर वाले खुश होंगे और उन्हें अच्छा मालूम पड़ेगा तथा देश का नाम बढ़ेगा। लेकिन मैं इन चीजों से खुश नहीं होता हूँ। खुश क्यों नहीं होता क्योंकि हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता आज भी गिरी हुई हालत में पड़ी हुई है। मैंने एक गीत सुना है और हमारी पार्टी के शुरू में वह गीत गाया जाता है "अमीरों के घर, गरीबों के फांसी के घर है"। यह गीत हम सुना करते थे। जब जब मैं उन बड़े घरों को देखता हूँ तो बड़ी भुंभलाहट होती है और फिर वह गीत याद आता है।

एक तरफ तो दिल्ली है और दूसरी तरफ ग्रेटर दिल्ली के नाम पर मास्टर प्लान बनाया गया और इसको कांग्रेस वालों ने बनाया और

उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिये जो गरीब लोग भुग्गी भोपडियों में रहते थे उनको निकाला गया और अभी तक उनके लिये कोई प्रवन्ध नहीं हो सका है। जब यहाँ पर भुग्गी भोपडियों को तोड़ने के लिए कानून आया तो उस वक्त मैंने उसका विरोध किया था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फिर से वही प्रशासन कायम हो, जो लेजिस्लेचर पहले था, वह यहाँ पर कायम हो। अगर वह प्रशासन यहाँ पर कायम नहीं होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सरकार को जनतंत्र पर विश्वास नहीं है। अगर हमें सविधान को आगे बढ़ाना है तो उसमें एकांगी पावर मन्ट्रल को ही नहीं रहना चाहिये। अभी भी जनता की सारी पावर सिर्फ केन्द्र को नहीं दी गई है; राज्यों को भी केन्द्र से अलग अधिकार दिये गये हैं, इस तरह एक को दूसरे के ऊपर निर्भर कर दिया गया है ताकि दोनों मिलकर काम करें। और जो कोई जनतन्त्र ठीक रास्ते से चलाना चाहता है उसके लिये ऐसा दिमाग बना कर रखना जरूरी है; परस्पर निर्भरता के आधार पर कैसे काम चलाया जाय उस दिमाग को रखना जरूरी है। उस तरह का दिमाग यह सरकार डेवलप कर सके तो हम समझते हैं कि उसको यहाँ के लिये लेजिस्लेटिव असेम्बली देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, इसको मान लेना चाहिये। खासकर इस इलाके के जो लोग हैं वे हिन्दुस्तान के लिए जान देने वाले लोग हैं। इसलिए वे लोग ही उतने भी अधिकार का उपभोग न कर सकें जितने हिन्दुस्तान के दूसरे भागों के लोग करते हैं जहाँ लेजिस्लेटिव असेम्बली है तो इससे बड़ी विडम्वना और क्या हो सकती है? इतनी बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूँ।

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, having looked into the Bill, the body of the Bill, I thought that I should speak a few words and express my opinion in regard to such a matter which concerns Delhi, the capital of India. I never knew that there was such a tremendous lacuna in the Act itself where the

Chief Executive Councillor, in other words the Chief Minister, was being imposed by the Central Government on the people of Delhi. How are they tolerating such a situation? The Metropolitan Council is an equivalent of any Legislative Assembly. It is a Legislature, whether they call it a Metropolitan Council or a Legislative Assembly. It makes little difference but all the same it is an equivalent of a Legislative Assembly, and who is asked to head the Legislative Assembly as the leader? It is a person who is nominated. If fortune favours the people of Delhi, may be he would be nominated by the Deputy Minister of Home Affairs or the Minister of Home Affairs. If fortune does not favour the people of Delhi, may be the nomination or the choice is made at the level of the Under Secretary of the Home Ministry. Therefore, it is really a matter of great misfortune for the people of Delhi, the capital of India, who are supposed to be the most enlightened people, who are the most sophisticated social order, to have a nominated person as the leader of their representative body. What is even more surprising is that there are certain matters which are treated as reserved subjects. I thought that after 25 years of independence the people of India as well as our administrators, both at the Centre and in the States, had forgotten about things like reserved subjects which belonged to the British days. Transferred and reserved subjects should have been long forgotten. I am surprised that it exists even today and in the capital of Delhi. There are certain subjects which are treated as reserved subjects and some subjects which are treated as transferred subjects, only transferred subjects can be dealt with at the level of the Metropolitan Council. Is it still a colony of the Central Government? Do the Central Government treat Delhi as a colony of their own so that there are certain reserved subjects which are kept away from the Metropolitan Council and only the natives are given certain transferred powers on which they can rely? It goes to show that the people of Delhi are not trusted by this Government. It is an irony of fate that the people of the country are not trusted by this Government and therefore the reserved subjects, the more important subjects, are kept away from them by the Central Government while

some of the transferred subjects like water pollution or bus service or electricity, are dealt with by the Metropolitan Council. Therefore, I would like that this colonial attitude of this Government should immediately go and more so, when they call themselves the great democratic socialists of this country. If they believe in democracy, let them not hoodwink the people, let them be frank about it, let them be non-colonial in their attitude towards the people of India from whom they draw all their strength and inspiration.

Sir, I would quote some of their own people who are very much against this colonialism. In the Joint Committee certain evidences were given. That was a Joint Committee on the Delhi Administration Bill, 1965 and the people who tendered their evidence were supposed to be experts belonging to the institution, the Metropolitan Council, itself and further belonging to the ruling party. Mr. H.K.L. Bhagat who belonged to the then Municipal Corporation said in response to a question by Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi as follows :—

“Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi : ‘You mean even though the four Executive Councillors are nominated, one of them should be the Chief Executive Councillor and the others should be nominated on his advice ?’

“Shri Bhagat : ‘Yes. This gives status and authority to both the Executive Council and the Metropolitan Council and ensures smooth working and collective functioning.’

“Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi : ‘These four should be members drawn from the elected members ?’ ”

To this, Shri Bhagat categorically stated ‘Yes.’ Replying to the debate further..

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : You read further what it has been said later on.

SHRI LOKANATH MISRA : I have already read it. It does not suit you as

much as it suits us, even though it does not suit us fully.

Now, Sir, replying to a debate in the Rajya Sabha on a motion for reference of the Delhi Administration Bill to a Joint Committee. Shri Jaisukhlal Hathi had assured this House and the other House that the practice of nomination so far as the Chief Executive Councillor was concerned, would be done away with. Somebody who is already elected, who is an elected member of the Metropolitan Council, could be nominated. Therefore, there would be almost a blending of the nomination as well as the representative character mingled together in the office of the Chief Executive Councillor for the Metropolitan Council. If that could be done, it would be half-way, it will not be quite satisfactory, but it would go half way in meeting the demands of the opposition so far as the representative character of the Chief Executive Councillor is concerned.

SHRI MANUBHAI SHAH : May I draw the attention of the hon. Member that the Chief Executive Councillor was not nominated as Chief Executive Councillor by the Government. Only he was nominated as a member of the Metropolitan Council. Then the entire Congress Party, both the nominated members—which is a part of the Constitution—and the rest of the members, 47, elected him as the leader of the party and in that right, he became the Chief Executive Councillor. It was wrong, constitutionally speaking, to say that he was nominated as the Chief Executive Councillor.

SHRI LOKANATH MISRA : Sir, the explanation given by Mr. Manubhai Shah is even worse. I consider him to be a very good, effective advocate of the Congress Party. I give that credit to him. But whatever has been stated has been far worse. Here is a person who never faced the people of his electorate. He was thrust upon the party after getting nominated into the Metropolitan Council because the Congress High Command thought that he should be a person who could be the Chief Executive Councillor. Therefore, he was nominated. This was the first boost given to him. He did not

belong to the people. No doubt he belongs to a party. He does not belong to the people even today. He got through the first hurdle by a push and nomination. The second push was given further by issuing a whip in the party among the members saying that that man must be the Executive Council leader because he has been given nomination with a view to becoming the Chief Executive Councillor. That is far worse. That should not have been done. Nobody, unless he is elected by the people, deserves to be considered for the Chief Executive Councillorship. That was my contention. Therefore, what was added by Mr. Manubhai Shah did not clarify the position at all.

Sir, the Government's representative in both Houses of Parliament had assured that he would put an end to this process of nomination so far as the Chief Executive Councillor was concerned. Now that the Government has gone back on it, I think it has been a contempt of both Houses of Parliament on the part of the Government. Even though none of the present incumbents in the Home Ministry had given us this assurance, whosoever had given it it was the Government, and having done it the Government should not have gone back. Whether it was this particular Cabinet Minister or some Cabinet Minister who had given the assurance they should have honoured it; they should have stuck to it particularly when Parliament was given an assurance.

Anyway, now will come the massive mandate. With one massive mandate for Central Government, now everything else has fizzled out. All other democratic institutions have fizzled out. Directions are being given from here as to who should be what and where. Fortunately, Sir, we are having probably a sunrise in the State of Mysore in Mr. Hanumanthaiya.

SHRI MANUBHAI SHAH : You will be disappointed.

SHRI LOKANATH MISRA : Let us hope that Mr. Hanumanthaiya would show the way and ultimately the members of the Metropolitan Council would take a hint and throw out the present Metropolitan Council and then replace it by an elected Council and not a nominated one.

श्रीमती सविता बहिन (दिल्ली) : माननीय वाइस-चेयरमैन साहब, मैं पिछली 11 तारीख को भी इस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन मंशोधन बिल 1968 के बारे में जो म्पीचें हुईं उनको सुनती रही और आज भी जो माननीय सदस्यों ने कहा उसको सुन रही थी। मुझे कुछ ताज्जुब हो रहा था दिल्ली के बारे में इतने लोगों की दिलचस्पी को देख कर। मैं माननीय मिश्र जी की बहुत कदर करती हूं और इज्जत करती हूं और अपने दूसरे साथियों की भी, लेकिन दिल्ली के बारे में यह लोग क्या जानते हैं। वे उड़ीसा के बारे में तो जान सकते हैं और दूसरे स्टेट्स के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में तो हम जानते हैं कि दिल्ली में क्या होता है और दिल्ली को क्या सूट करता है। हमारे मित्र डा० भाई महावीर जा बंठे हैं, वह बहुत काबिल है, बहुत लायक है, अज तक उस काबलियत के दिमाग से यह हमेशा आवाज उठाते आये कि दिल्ली में असेम्बली नहीं होनी चाहिये, वह दिल्ली के अन्दर एक सफेद हाथी के माफिक हैं। यहाँ मेरे माननीय भाईयों ने कहा है कि दिल्ली में असेम्बली न देना दिल्ली के रहने वालों के साथ अन्याय करना है लेकिन मैं तो यह कहती हूं कि दिल्ली में असेम्बली का लाना दिल्ली के आम रहने वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है इसलिये कि वह पहले से ही टैक्सेज के नीचे वडे दबे हैं। दिल्ली में कोई प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसमें लोग ज्यादातर नौकरी पेशा में रहने वाले हैं और कैपिटल में रहने के नाते उनको अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी तरह से रखना पड़ता है, चीजों की जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वह सब आपके सामने है। तो इन सब बातों को देखते हुये कभी दिल्ली के रहने वालों ने नहीं चाहा कि दिल्ली के अन्दर असेम्बली आये, हमेशा उन्होंने असेम्बली से पीछा छुड़ाना चाहा और जब असेम्बली बनी और उसके बाद खत्म हो गई तो सबने कहा कि यह वाइट एलिफंट था

[श्रीमती सविता बहिन]

जिसको फ़ि खत्म कर दिया गया और उसके लिये सवने खुशी के साथ मुबारकबाद दी। मैं नहीं जानती कि मेरे भाई डा० भाई महावीर अब किस वजह से यह कहते हैं। वह मेरे लायक, काबिल भाई हैं, वह इस बात को पहले बार-बार दुहराते थे कि दिल्ली के अन्दर असेम्बली का आना गलत बात है, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है, यह सफेद हाथी के माफिक है। आज वह यह किस वजह से कहते हैं यह तो वह ही बेहतर जानते होंगे लेकिन मैं यह समझती हूँ कि दिल्ली में असेम्बली की बात को उठाना दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय करना है।

जहाँ तक डेमोक्रेटिक हकूक का सवाल है, इसका यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने मेट्रोपालिटन कौंसिल के मेम्बरों को चुन कर भेजा है। वह वहाँ अलग बैठकर के काम करती है, जो चीजें असेम्बली में होनी चाहिये वह यहाँ पर होती है और जो वहाँ नहीं होतीं वह गवर्नमेंट से होती है।

अभी मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि बड़ी भारी ज्यादाती हो गई कि यहाँ पर नामिनेटेड एग्जीक्युटिव कौंसिलर्स हैं। बड़ी गलत बात है। एग्जीक्युटिव कौंसिलर्स को तो इलेक्टेड होना चाहिये और मामेज को फेस करने वाला होना चाहिये। मेरे माननीय भाई डा० महावीर जी ने उस दिन 11 तारीख को कहा था कि किस लिहाज से इनको नुमाइन्दगी दी गई है, ये तीनों नुमाइन्दे जो लाये गये हैं ये गलत लाये गये हैं, इनको नामिनेशन ही नहीं मिलना चाहिये था। मैं पहले नामिनेशन की बात का जवाब दे दूँ। मेरा कहना है कि जो तीनों नुमाइन्दे नामिनेट किये गये हैं वे अपनी-अपनी जगह नामिनेशन की विशेषता रखते हैं और महत्व रखते हैं। राधा रमण जी को ही लीजिये, वह अपनी सारी जिन्दगी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, अपने जीवन भर उन्होंने देश के लिये

कांस्ट्रक्टिव काम किये हैं, सोशल वर्कर है, पोलिटिकल, सोशल, कांस्ट्रक्टिव लाइफ हमेशा उनकी रही है। अब राधा रमण जी को ले लो और वह अडवाणी जी जो पहले थे उनको ले लो, तो जब आप अडवाणी जी को नामिनेट कर सकते हैं तो क्या राधा रमण जी को नहीं कर सकते। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहती, अडवाणी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ उनके सामने अपना सिर झुकाती हूँ लेकिन सच्चाई को कहना पड़ता है। अब, माननीय भाई मीर मुश्ताक अहमद को ही लीजिये। इन सब क्वालिटीज के होते हुये वह माइनारिटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या गलत बात कर दी। अब तीसरे माननीय भाई को लीजिये। हम रोज यहाँ बैठकर कहते हैं कि लेबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेबर को पूछा नहीं जाता, सरमायदारी को उठाया जाता है, लेकिन जब लेबर का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया तो बड़ी बुरी बात कर दी, गवर्नमेंट ने बहुत गलत आदमी को नामिनेट कर दिया। मान्यवर, अगर एक अच्छी एग्जीक्युटिव कौंसिल बना दी, उनको कुछ ओहदा दे दिया तो यह गलत बात हो गई लेकिन जिस इदारे का, जिस इंडस्ट्रियुशन का, संपत्ता का, डाइरेक्ट सम्बन्ध लोगों से है, कार्पोरेशन का उसमें तो हमेशा मेयर नामिनेटेड रहे। अभी मेरे भाई माननीय शाह जी ने कहा, वह मेरे बुजुर्ग भाई हैं श्री हंस राज गुप्ता, उनकी बहुत माननीय जिन्दगी रही है, लेकिन आखिर को तो नामिनेटेड थे, इतने साल तक उन्होंने दिल्ली कार्पोरेशन को चलाया। वैसे ही मेरे भाई हैं श्री के० एल० साहनी, वह भी नामिनेटेड हैं। आज जिससे लोगों का सीधा ताल्लुक है, सारी सिविक अमेनिटीज से जिसका ताल्लुक है जिसका डाइरेक्ट लोगों से सम्पर्क है वहा तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है वह नामिनेटेड रहा। अभी केदार नाथ साहनी रहे पाच चार साल तक। अब श्री मेहरा नामिनेटेड हैं।

लेकिन जो बात हमारे डा० भाई महावीर को सूट करती है वह अच्छी और बहुत सही लगती है, जो उनको अपने माफिक नहीं बैठती वह गलत और तकलीफदेह लगती है। इसलिए मैं समझती हूँ, राधा रमण जी बहुत सही तरीके से दिल्ली को रेप्रेजेंट कर रहे हैं। मेट्रोपालिटन काउंसिल में और सही तरीके की नुमायंदगी मिली है, नामिनेटेड मेम्बर इस तरह के नामिनेटेड नहीं हैं जैसा हम किसी संसद इन्टररेस्ट में करते हैं या कोटा देते हैं 5 मेम्बर्स का। शुरू में जो काउंसिल बनी थी मेरे भाइयों की रिजीम में, उन्होंने भी उसी तरह से किया। जो माननीय बुजुर्ग थे जिनको लाना चाहते थे उनको नामिनेट किया था। (Interruption) नो, प्लीज।

डा० भाई महावीर : आप गलत फहमी में न रहें। मेयर नामिनेटेड नहीं है दिल्ली में। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि मेयर को म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेम्बर्स इलेक्ट करते हैं।

श्रीमती सविता बहिन : वे मेरे भाई हैं। आप जो शब्द निकालते हैं मुँह से अपने भाइयों के बारे में, मैं वैसे शब्द नहीं निकालना चाहती हूँ।

डा० भाई महावीर : नामिनेटेड मत कहिए।

श्रीमती सविता बहिन : एल्डरमैन — समर्थित लाइक दैट कहिए।

डा० भाई महावीर : बाकी ठीक है। (Interruption) मनुभाई शाह जी को भी पता नहीं क्लेरिटी क्या है? आप तो मिनिस्टर रहे हैं। कम से कम कुछ क्लेरिटी तो रखें। कुछ भी हो, वही केटेगरी है। डाइरेक्ट इलेक्ट होकर, जनता में से नहीं आए।

श्रीमती सविता बहिन : फिर महावीर जी, मैं बाहर बैठ कर बताऊंगी क्या है।

डा० भाई महावीर : आप 2 घंटे बोलिए लेकिन सही बात कहिए।

श्रीमती सविता बहिन : आपने सभी एलिगेंस लगाए, हमने सर झुका कर मुना है। लेकिन सच्चाई को तो कहने दीजिए।

डा० भाई महावीर : मेयर नामिनेटेड है — क्या यह सच्चाई है।

श्रीमती सविता बहिन : अभी मेरे भाई ने अपने भाषण में दिल्ली के शासन में भारत सरकार की अनेक त्रुटियाँ निकालीं और सब तरह के ब्लेम्स भारत सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश की। आज अगर मैं पानी की बात लूँ, तो पानी पाँच साल से दिल्ली कारपोरेशन कंट्रोल कर रहा है जो जन संघ के हाथ में है, कारपोरेशन की कमेटी उसका प्रबंध कर रही है। भारत सरकार में जितना पैसा जब मांगा गया दे दिया, करोड़ों रु० दिया हुआ है और जब कोई प्रोजेक्ट आया उसको फौरन पूरा किया है। लेकिन उनका काम अपना सच चलता है, जगह-जगह पाइप के गलत आर्डर पड़े हुए हैं, उस पर इन्क्वायरी हो रही है, मीटर गलत मंगवा लिए हैं। ज्यादा ऐसी बातों को कहने की मेरी आदत नहीं है, सी० बी० आई० तक में इन्क्वायरी चल रही है। और क्या कहूँ, कितना वेस्टेज हो रहा है, पार्शियलिटी रखने के कारण कहीं-कहीं पर बेतहाशा नल चल रहे हैं और किसी-किसी जगह पर तो एक नल भी नहीं है। यह पार्शियलिटी इस दिमाग के साथ जुड़ी हुई रहती है जो कदम कदम पर हमारे सामने आती है। अभी 9 करोड़ रु० उन्होंने कारपोरेशन के जनरल विंग से लेना है, वह कवर नहीं कर सकते। कितने करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं, भारत सरकार ने दिए हैं और कई प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। उन्होंने ज्यादा खर्च किया है, पानी के ऊपर उद्घाटन करने में — दो-दो साल पहले जो उद्घाटन किए हैं, उन पर काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और

[श्रीमती सविता बहिन]

स्टाफ रखा है। डा० भाई महावीर का डाइ-रेक्ट सम्पर्क नहीं रहा करता नहीं तो वे शायद सुधारते। मैं जानती हूँ उनकी काबिलियत को। लेकिन जितनी घिपलेवाड़ी चल रही है, जितनी गलती हो रही है पानी के बार में वह कारपोरेशन के जरिए चल रही है। मैं तो कहती हूँ, गवर्नमेंट इसकी इन्कवायरी करवा ले। आप पासेज की बात ले लीजिए। पासेज के बारे में भी हमारे डा० भाई महावीर ने बहुत क्लिटेसाइज किया गवर्नमेंट को। जब कारपोरेशन के तहत बसेज चलती थीं, तब किसी मेम्बर ने भी बसेज में जाने की कोशिश नहीं की और मैं भी 12 साल तक कारपोरेशन में रही हूँ, मुझे फ्री पासेज दिए जाते थे। मैं मजाक उड़ाया करती थी कि 50,000 की गाड़ी में नहीं चलींगी। उसमें कभी मेम्बर नहीं जाते थे। यह हमारे मिनिस्टर बैठे हैं ओम मेहता जी, इन्होंने कितनी ही बार स्वयं जाकर बसेज में इन्स्पेक्शन किया है और देखा है सवारियों को क्या-क्या तकलीफें होती हैं, किस तरह से यात्रियों को आराम दिया जाता है और प्लोट को भी बढ़ाया है। इनकम को बढ़ाया है और जो घाटा है उसको कम करने की कोशिश की गई है। कितनी ही बसें स्टुडेंट्स के लिए नई डाली गई हैं और जो डेली एवरेज बसें के ट्रिप्स का है वह काफी बढ़ गया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आपको फैक्ट्स देना चाहती हूँ कि पहले क्या था और अब क्या फर्क हो गया है।

हमारे भाई बसों में पांच पैसे बढ़ाने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पांच पैसा ज्यादा लेकर एक्सप्रेस बसें चलाई जा रही हैं। इस तरह से पांच पैसा फालतू ले लेते हैं और पैसेंजर जब एक्सप्रेस समझ कर बैठ जाते हैं तो बाद में वे पैसेंजर बसों की तरफ चली जाती हैं। मैं अपने भाई से कहना चाहती हूँ कि वह यह बात क्यों भूल जाते हैं कि यह पांच पैसे तो उन्हीं के बढ़ाये हुए हैं जो उन्होंने एक्सप्रेस के

जरिये बढ़ाये थे। जब से भारत सरकार के पास इसका प्रबन्ध आया, तब से एक्सप्रेस गाड़ियों की तादाद उसने बढ़ा दी है।

बसों में जितने भगड़े पहले हुआ करते थे रोज, वे अब नहीं हो रहे हैं। पहले जनरल मैनेजर, चेयरमैन और दूसरे आफिसरों को भगड़ों को तय करने के लिए भागना कदने पड़ता था। श्री तिलकराज नरूला मेरे कोलीग रहे हैं और आठ, दस साल तक हम लोकल बाडीज में साथ-साथ काम करते रहे। मैं जानती हूँ कि वे कितना अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन उनके वक्त भी बहुत भगड़े होते थे। आप जानते हैं कि रोज यह सुना जाता था कि कभी बस जला दी गई है, कभी कालेज में कोई भगड़ा हो गया है, आज कालेज बन्द हो गया है, इस तरह की बातें सुनने में आती रहती थीं। लेकिन जब से भारत सरकार ने डी० टी० यू० को लिया है और डी० टी० सी० कर दिया है, तब से आपने कोई भगड़े नहीं सुने होंगे। अब यह दूसरी बात है कि विद्यार्थी परिषद इस तरह की कोई बात कर दें यह सभ्रम कर कि अभी तक कोई भगड़े नहीं हुए हैं और अब भगड़ा हो गया है।

नवम्बर में जब गवर्नमेंट ने इसको टेक-ओवर किया था, उस वक्त सितम्बर में कुल किलो-मीटर अपरेशन 1.97 था, लेकिन जनवरी के महीने में 2.36 हो गया और मई के महीने में 2.28 ही बढ़ा। मई के महीने में 2.28 इसलिए हुआ, क्योंकि इस महीने कालेज बन्द रहते हैं। लेकिन सरकार के लेने के बाद एवरेज इनकम बढ़ गई है और एवरेज बस रूट्स भी बढ़ गये हैं। स्टुडेंट्स के लिए कई नई बसें चालू कर दी गई हैं, 107 नई बसें विद्यार्थियों के लिए चालू कर दी गई हैं। 515 बसों के साथ यह एडिशन कर दी गई है और स्टुडेंट्स के लिए फैसिलिटीज भी बढ़ा दी गई हैं। पहले 17 लाख रुपया मन्थली घाटा होता था और

अब वह केवल 9 लाख रुपया रह गया है और इसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। जब से गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथ में लिया है तब से बसों की सर्विस में सुधार हुआ है।

मेरे साथी जो बसों में नहीं बैठते हैं, उन्हें भी मालूम होगा कि पहले बसों में कितना शोर-गुल हुआ करता था, कितना हल्का हुआ करता था और हम भगड़ों की वजह से गाड़ियों को नहीं निकाल सके थे, लेकिन अब यह सिल-सिला बन्द हो गया है।

हमारे भाई ने कोआपरेटिव की बात कही और कोआपरेटिव में जो धांधली हुई है उसको ठीक करने के लिए यहां पर असेम्बली आनी चाहिये। मेरे भाई को मालूम होना चाहिये कि उनकी रिजिम के आने से पहले दिल्ली में कोआपरेटिव का जाल बिछा हुआ था और उनके आने के बाद ही उन्होंने कोआपरेटिव के उपर ऐक्शन लेना शुरू कर दिया और दिल्ली से कोआपरेटिव को लिक्विडेट करने की कोशिश की। उन्होंने उस बात की कोशिश की कि जहां जहां भी कोआपरेटिव थी उनको खत्म किया जाय। जहां पहले गवर्नमेंट ने एक पालिसी बनाई थी कि जहां पर कोआपरेटिव होगी वहां पर इनके जरिये ही डिस्ट्रिब्यूशन किया जायेगा। लेकिन उनके आने के बाद ही उन्होंने फटिला-इजर का डिस्ट्रिब्यूशन बन्द किया, सोसाइटीज बन्द कर दी और प्राइवेट लोगों के जरिये से डिस्ट्रिब्यूशन का काम शुरू कर दिया। क्योंकि यह उनकी जमात है, उनका क्लास है और कोआपरेटिव के इदारे में इस जमात के कितने ही कबिल भाई हैं, लेकिन उनकी गुजर नहीं है।

सिविल सप्लाय के बारे में भी इन लोगों ने बड़ी गलती की। पहले करीब 17 हजार रिटेलर ट्रेडर थे जो कोयले का व्यापार करते

थे, लेकिन हमारे भाइयों ने 11 हजार थोक व्यापारियों को यह काम जो उनके अपने-अपने आदमी थे दे दिया। जो रिटेलर थे, छोटे-छोटे व्यापारी थे, जो अपने घर की रोटी चलाते थे, उनका रोजगार काट दिया गया। इन लोगों से पहले अपनी पार्टी के लिये चन्दा इकट्ठा किया और फिर बाद में चन्दे का रेट बढ़ा दिया और इस तरह से जो रिटेलर व्यापारी थे वे आज रो रहे हैं। अब जो सरकार आई है वह उनके केसेज के बारे में रिकंसीडर कर रही है और दुबारा लिस्ट बनाई जा रही है, क्योंकि पहले जिन्होंने कोयले का व्यापार नहीं किया था उनको कोयला ठेके पर दे दिया था और थोक व्यापारी बना दिये गये थे। और वे 20 रुपया फी टन फायदा उठाते थे जबकि हमने उसे 5 रुपए टन कर दिया है। तो अनेकों बातें हैं जिनको दोहराया जाय तो अंत नहीं है, रोजमर्रा की जिन्दगी की बातें हैं।

मेरे भाई डा० महावीर ने भुग्गी-भोपड़ी का जिक्र किया था, उसके लिए बड़ी हमदर्दी दिखाई थी, ओनरशिप पर, हायर-परचेज पर उनको प्लॉट देने चाहिये, उनके रहने का इन्तजाम प्राप्तर होना चाहिये, उनको फेसिलिटी देनी चाहिए, लेकिन मैं भाई महावीर जी को याद दिलाना चाहती हूं कि आप ही लोगों ने भुग्गी बालों को होली के ऊपर 20 मील दूर फेंक दिया था। ईद से दो दिन पहले मुसलमान इलाके के लोगों को 20 मील दूर जंगल में डाल दिया था। तब इन लोगों के लिये हम लोग जेल गए थे, हजारों की तादात में जेल गए थे कि इनको एमेनिटीज दो। उस वक्त हालत यह थी कि वहां जच्चा बनने वाली मदर थो, पर्दा डाल कर जंगलों में उनकी उन जरूरतों को हमने पूरा किया था। वहां बच्चों की पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, पीने के पानी का साधन नहीं, रोशनी का साधन नहीं। इस तरह की चीजों को किया गया था महज इसलिए कि ये गरीब

[श्री सविता बहिन]

लोग, भोंपड़ी वाले लोग सही सोचते हैं, फंसला करते वक्त सही फंसला करते हैं तो इनको डाल दो जंगलों में तार्कि मुसीबत में फंस जायं ।

लीज की बात भाई महावीर ने उठायी थी । जिस इलाके में लीज की बात ये करते हैं उस इलाके से चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिलर श्री विजयकुमार जी मल्होत्रा 20 साल से इलेक्ट हो कर आ रहे हैं । अब जब मैंने लीज की बात उठायी है, गवर्नमेंट से टेक-अप किया है, सारी बात के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, बात आगे बढ़ रही है तब लीज के सवाल को आप भी उठा रहे हैं । अपने समय में आपको इसको उठाना चाहिये था । आपका सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी पार्टों में बैठी है, फंसला करने की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि मैं यह समझती हूँ कि डा० महावीर इधर आकर बैठते तो ज्यादा अच्छा काम कर सकते जिस तरह से वे सारी चीजों को सोचते और देखते हैं, इस तरह से दिल्ली की जो रोजमर्रा की जिन्दगी है, दिल्ली के रहने वालों का जो जीवन है, उसके साथ इन 5 सालों में बहुत खिलवाड़ किया गया था ।

डी० डी० ए० की बात इन्होंने की । डी० डी० ए० में बहुत पार्शिएलिटी चली है । एक विडो है, उसने खाली गुसलखाना बनाया था नौजवान बच्चियों का पर्दा ढकने के लिए । उसको रातों रात गिरा दिया गया । मैंने देखा है कि चार-चार मंजिल की बिल्डिंगें इनके वर्कर्स की दिन में सामने खड़े होकर बन जाती है । रिजब तक इनकी जीम रही, ताकत में रहे, पावर में रहे, इन्होंने जी भर कर दिल्ली के अन्दर असमानता का व्यवहार किया, दिल्ली के नागरिकों के साथ असमानता का व्यवहार किया, दिल्ली के रहने वालों के साथ

असमानता का व्यवहार किया । जितना दिल्ली में करप्शन बढ़ सकता था बढ़ा, जो चन्दे लिए जा सकते थे लिए गये ।

श्री इयाम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : करप्शन की बात आप करती हैं । दिल्ली में तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी है, क्या आप उसके लिए भी कह रही हैं ।

श्रीमती सविता बहिन : सेन्ट्रल गवर्नमेंट अगर कर सकती होती तो... (Interruption) 5 साल की रिजोम में इनकी एक करोड़ से ज्यादा की प्रोपर्टी खड़ी हो गई । तीन बिल्डिंगें हैं, संस्कृति भवन, बड़ा भारी जनसंघ का आफिस, कई लाख की लागत से बना । दीनदयाल उपाध्याय भवन । हम 20 साल की अवधि में एक बिल्डिंग भी नहीं बना पाए और न ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपने लिए बना सकी । आखिर ये लाखों रुपये कहां से आये हैं । भाई महावीर जी, खाली बातों के कहने से कुछ नहीं होता ।

टैक्स की बात इन्होंने कही थी । मल्टी पोइन्ट टैक्स बिल किसने बना कर भेजा ? आपकी रिजोम में जिस वक्त दिल्ली के ट्रेडर्स ने आपका साथ नहीं दिया आपने उनके ऊपर मल्टी पोइन्ट टैक्स लगाने का बिल भेजा । उस वक्त का बिल चल रहा है । आज आप अपोज करते हैं, कल आप हिमायत कर रहे थे । तो कुछ तो फेयर तरीके से चलना चाहिए ।

डा० भाई महावीर : बहन जी, आपको पता नहीं आप क्या कह रही हैं । मल्टी पोइन्ट टैक्स का बिल नहीं बना, सिंगिल पोइन्ट टैक्स का बिल बना ।

श्रीमती सविता बहिन : अगर सिंगिल पोइन्ट टैक्स का बिल बना तो वह भी आपने बनाया ।

डा० भाई महावीर : जिसका पता हो आंध्र या उड़ीसा के बारे में नहीं बोलती हूं। वह आप कहिये।

(Interruption)

डा० भाई महावीर : गुजरात वाले जानते हैं।

श्रीमती सविता बहिन : इन शब्दों के साथ इस बिल के संशोधन का मैं तहे दिल से विरोध करती हूं।

श्रीमती सविता बहिन : मैं पते की बात कह रही हूं। आप अपने भाषण को उठा कर देखिए। टर्मिनल टैक्स की बात आई। आप देखिये कि टर्मिनल टैक्स इतना बढ़ाया कि 2 पैसे जो होता था वह आज 10 पैसे है। इसी तरह से और भी जहां टैक्सेज बढ़ सकते थे वे बढ़ा दिये गये हैं। प्रापर्टी टैक्स जो 10 परसेंट था वह 20 परसेंट कर दिया गया। कामशियल टैक्स जो 11 परसेंट था वह 30 परसेंट कर दिया गया। फैंक्ट्री टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। इस तरह से टैक्सेज बढ़ा करके दिल्ली की लाइफ को तबाह किया गया है और आज फिर वही मेरे भाई और ज्यादा ताकत लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा करे क्यों न। कोई उनका पिछला बहुत बड़ा इतिहास नहीं है और आगे ले जाने वाला और डाइरेक्शन देने वाला कोई सिर पर नहीं है। मेरे भाई डा० भाई महावीर बहुत काबिल हैं और अपने आप सोच कर के बहुत कुछ करते हैं। लेकिन समाजवाद की तरफ ले जाने वाली चीजें नहीं हो पाती हैं। प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो डेस्ट्रक्टिव होते हैं जैसे शाहदरा की बात है, हिन्दू कोड बिल की बात है, हिन्दी भाषा की बात है। इसी प्रकार गऊ माता का नारा लगाया जाता है। लेकिन मैं यह बहुत अदब के साथ जानना चाहती हूं कि पिछले पांच वर्षों में इनकी ओर से कितनी गऊ शालाएं खोली गईं।

मैं प्रिय भाई महावीर जी से कहना चाहती हूं कि यह दिल्ली के रहने वालों का सवाल है, दिल्ली की जनता का सवाल है। यदि मैं भी किसी माननीय सदस्य से कह दूं कि वे इस बिल की मुखातिफ करें तो वे करेंगे, लेकिन आंध्र वाले या उड़ीसा वाले दिल्ली के बारे में क्या जान सकते हैं और क्या बोल सकते हैं। मैं भी

श्री श्याम लाल यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। जब सारे देश और हमारा देश इस बात को मानता है कि हम निर्वाचन के आधार पर देश के शासन को चलाना चाहते हैं, तो इस दिल्ली का शासन-सूत्र भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में हो और वहां के जो शासनकर्ता हैं वे भी पूरी तौर से निर्वाचित प्रतिनिधि सस्था के मातहत हों और उसके प्रति उत्तरदायी हों। यह एक मौलिक प्रश्न है। दिल्ली जैसा नगर जिसका गुणमान करते हमारी बहन नहीं थकती थी, हम भी सहमत हैं कि यह हिन्दुस्तान की राजधानी है और यह वह दिल्ली है जिसने हिन्दुतान के इस लम्बे इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में, अनेक शासन सत्ता को गिरते और उठते देखा है। बड़े-बड़े सम्पत्ता के प्रतीक यहाँ पर पैदा हुये और उसी प्रकार वे इतिहास के पन्ने से मिट गये। सारे देश जानते हैं कि यही वह दिल्ली है जहाँ पर हिन्दुस्तान की आत्मा पाई जाती है और इस देश के विकास के लिए जिम्मेदार है। इसी दिल्ली में चुने हुये प्रतिनिधियों को पूरे तौर से यहाँ का शासन चलाने की इजाजत न हो, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

जिन परिस्थितियों में 1966 में अधिनियम बना वे परिस्थिति मैं समझता हूं कि बदल चुकी है। इस बीच में जो महानगर परिषद का गठन हुआ उसके कार्य को भी काफी जिम्मेदारी के साथ जन प्रतिनिधियों ने सम्पन्न किया।

[श्री श्याम लाल यादव]

फिर कोई कारण नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे, केवल कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स में छोड़ कर दूसरे क्षेत्रों में वह अपने अधिकारों का उपयोग करती रहे। और महानगर परिषद् के कार्यों में समय-समय पर हस्तक्षेप करती रहे। मान्यवर, जब इस प्रकार की व्यवस्था है और केन्द्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो और महानगर परिषद् में दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो दोनों में अक्सर कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाये जाते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा भी की जाती है और की जाती रही है और मैं समझता हूँ कि यह सब अनुचित नहीं है। आज हमारी बहिन जी को यह एकाएक अनुभव हुआ कि दिल्ली में इतनी गरीबी जो हुई है, यह भुग्गी-भोपड़ी का सवाल जो पैदा हुआ, यह सहकारिता में जो भ्रष्टाचार हुआ यह सब जनसंघ के कारण हुआ। मैं उन से और सरकार से बहुत अदब से पूछना चाहता हूँ कि जब देश आजाद हुआ 1947 में तो चाहे वह दिल्ली का शहर हो या देश का कोई दूसरा इलाका हो, वहाँ सरकार किस की थी? सारे देश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसके नेता जवाहर लाल जी थे या उस समय जनसंघ का कोई लीडर नेता था? मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उस समय आप थे तो आपने यहाँ भुग्गी भोपड़ी को पैदा ही क्यों होने दिया? बुनियादी तौर से अगर दिल्ली में भुग्गी भोपड़ी वाले पैदा हुए हैं तो उस की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, उसकी जिम्मेदार आप की नीतियाँ हैं, आप की गलतियाँ हैं, आपने पूँजीपतियों को प्रोत्साहन दिया यहाँ बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें बनाने के लिए। हिटलर की तरह का शौक था हमारे पिछले शासकों को। हिटलर जब लड़ाई लड़ रहा था, रूस और इंग्लैंड में, सारे योरोप में उसकी सेनायें जब भाग दौड़ कर रही थीं उस समय भी उसको यह शौक था और वह अंतिम समय तक रहा कि ऐसी

ऐसी इमारतें, असेम्बली हॉल और हॉल आफ नेशन्स वह बना कर जाये जो कि इतिहास में कभी न रही हो और न हों और लोग बाद में याद करें कि हिटलर एक शासक था जिसने एक ऐसा महल बनाया। भारतवर्ष के कांग्रेसी शासकों को शौक था दस, बीस मंजिल ऊँचे भवन बनाने का, खूब बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाने का। आपने इस का ध्यान ही नहीं किया कि लोगों को रहने के लिए मकान भी चाहिए, आप अपना शौक पूरा करने में लगे रहे और लोग रोजी रोटी के लिए तरसते रहे। आप को यह विचार नहीं आया कि आप उनके लिए मकान बना कर दें। शर्म आनी चाहिए आपको अपने इस काम पर। एक महानगर परिषद् में जनसंघ का शासन है, लेकिन सारे देश की सत्ता आप के हाथ में है। रिजर्व सब्जेक्ट, सुरक्षित अधिकार आप के हाथ में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आप का है। आप जब चाहें एक कलम से, ज्वायंट सेक्रेटरी मेट्रोपोलिटन काउंसिल के जिस आदेश को चाहे रद्द कर सकता है। और ऐसी सरकार कहे कि यहाँ गरीबी हो गयी इस लिए कि जनसंघ का शासन था मान्यवर यह कहना सारे देश को और स्वयं अपने को भी धोखा देना है और कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरों पर कीचड़ उछालने के पहले आप अपने अंदर देखिये। इस गरीबी के जिम्मेदार आप हैं। और अगर गरीब हो ही गयी तो आपने वायदा किया था कि हम गरीबी को दूर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1971 के बाद आज साल भर से ज्यादा हो गया। आप के हाथ में शासन था। भुग्गी-भोपड़ी को दिल्ली नगर से हटाने के लिए आपने क्या किया। मैं देखता हूँ कि आज हर जगह भुग्गी-भोपड़ी बढ़ती और फैलती जा रही है। आज गरीबों के पास मकान नहीं, उनके पास कपड़ा नहीं, दवा नहीं, और उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था आप ने की नहीं और उसके बाद भी आप भुग्गी भोपड़ी के लिए आंसू बहाते हैं इसलिए कि आप

को उनका वोट चाहिए। ठीक है, आपने उनका वोट लिया, अब आप उनकी जिम्मेदारी भी लीजिए। आप उनके लिए कुछ काम करेंगे तभी काम बनेगा केवल यह बात नहीं चलेगी कि जनसंघ ने यह किया, जनसंघ ने वह किया। आज आप जिम्मेदार है कि आप ने भुग्गी-भोपड़ी को क्यों नहीं हटाया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उस के अंदर जो भी विचार आया उसका एक्सपेरीमेंट सबसे पहले दिल्ली में होता रहा। सबसे पहले सहकारिता का एक्सपेरीमेंट दिल्ली में हुआ यह सहकारिता मान्यवर, इस देश का दुर्भाग्य है। और आज यह दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे कांग्रेस के सदस्य इस सहकारिता से चिपके हुए हैं। सहकारिता मे देश का जितना खर्चा बर्बाद हुआ है उतना रुपया शायद ही किसी और विभाग में देश में बर्बाद हुआ हो, इतना तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। जो सविता बहिन जी सुपर बाजार की इंचार्ज हैं, वह साल भर तो रहेगी ही, मैं कहना चाहता हूँ कि वह चाहे कितने ही स्टेप ले लें, यह उनके बूते के बाहर की बात है। उसको सुधारना संभव नहीं। सहकारिता भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है और इस देश में कोई उस से बच नहीं सकता। अगर आप अपनी इज्जत को बचाना चाहती हैं तो मैं नम्रता से अपनी बहिन सविता जी से कहना चाहता हूँ कि आप उससे अलग हो जायें। वःा तो ऐसा दलदल है कि जिस में जा कर कोई भी बच नहीं सकता। दुनिया में सहकारिता सफल नहीं हो सकी और सहकारिता जिन देशों में चल रही है वहां से लोग भाग रहे हैं। सहकारिता के बल पर गरीबी दूर नहीं हो सकती है। 1962 में यह सहकारिता की स्कीम चली और उस समय जो मंत्रा लोग थे वे चुप-चुप सारे देश में जा कर सहकारिता की संस्थाएँ खोल आये और हम लोगों को पता तक नहीं लगा। मान्यवर, उस में क्या हुआ। आप ने सुपर

बाजार को दस लाख रुपया दे दिया, फीगर मैं ठीक नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, आप ने उन को दस लाख कर्ज दे दिया, बीस लाख की ग्रांट दे दी और सब्सिस्टेंस एलाउन्स दे दिया और जितना वहां काम नहीं उस से ज्यादा कर्मचारी भर्ती कर लिये। लोगों को आशा दिलायी कि वहां सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन बाहर बाजार में चीज का दाम कम है और सुपर बाजार में लोगों को ज्यादा दाम देना पड़ता है। तो मेहरबानी करके आप सहकारिता को छोड़िये, इसको खत्म करिये और जो रुपया इसमें डूब रहा है उसे बचाइये और व्यापार को देश में खुले रूप में चलने दीजिए। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो यह खुशी की बात है, लेकिन समाजवाद के मायने अंग्रेजी डिक्शनरी में लीजिए या हिन्दी डिक्शनरी में लीजिए, एक ही है, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है कि सारी व्यवस्था पर, उत्पादन पर, वितरण पर सरकार का कब्जा होना चाहिये। इसके अलावा समाजवाद के मायने कोई दूसरा है? आपने समाजवाद की कोई डेफिनिशन नहीं दी। देश को एक लुभावना नारा देना चाहते हैं और जो गरीब है वह सोचते हैं कि शायद इससे उद्धार हो जाय। मान्यवर जो समाजवादी देश थे वह भी असफल हो गये। रूस की क्या हालत है। वहां कोई विरोध नहीं कर सकता, वहां कोई हड़ताल नहीं हो सकती, कोई आन्दोलन नहीं हो सकता, कोई प्रदर्शन नहीं है, सब को जबरदस्ती काम करना पड़ता है लेकिन वहां भी गल्ले का इतना उत्पादन नहीं है कि रूस अपने यहां के लोगों को खिला सके, उन्हें गल्ला बाहर से मगाना पड़ता है, वहां कलेक्टिव फार्मिंग फेल हो गई। जो एक जाल फैला रखा है, जो एक भ्रम है, उसको आप दूर करिये। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक निर्वाचित, प्रतिनिधि, चुनी हुई सरकार हो। आप उसका कोई भी नाम रखिये, मेट्रो-पालिटन कांसिल का नाम लेना है तो वह भी

[श्री श्याम लाल यादव]

नाम रख सकते हैं लेकिन वह पूरी तरह से जिम्मेदार हो। यह तो सन् 1909 ई० में जो पहले ग्रंथों ने हिन्दुस्तान के लिये बनाया उसमें यह कर दिया कि इस तरह की संस्था होगी और यह 1937 ई० तक चलता रहा, यह रखा गया कि रिजर्व सबजेक्ट होगा जो कि गवर्नर के हाथ में होगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया कि रिजर्व सबजेक्ट नहीं होता चाहिये और फैसला हुआ कि जो आप फैसला करेंगे वह मानेंगे लेकिन नाम से वह रिजर्व रहेगा, नाममात्र को वह रिजर्व रहेगा, इस परस्पर को खत्म कीजिये, जिसका भी शासन हो वह पूरे तौर से उसकी जिम्मेदारी उठाये। हो सकता है कि कल राधारमण जी ही यह कहें कि जो हमारी भावना थी वह सफल नहीं हुई, हमने स्कीम बना कर तो भेज दी लेकिन वह ठप्प होती रही।

मान्यवर, जनसंघ ने दिल्ली में जो कुछ किया है वह हम सब आंखों से देख रहे हैं, वह हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी भी व्यवस्था वह कर सकते थे उसको किया, पानी में, सफाई में कुछ किया, ट्रैफिक के सम्बन्ध में सुधार हुआ, जो कुछ सुधार हुआ उसका ड्यु उन्हें मिलना चाहिये, उसकी प्रशंसा होनी चाहिये, ऐसा नहीं कि होलसेल कंटेन्स कर दिया जाय।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : थोड़ा बहुत।

श्री श्याम लाल यादव : जी हां, थोड़ा बहुत। अगर आपको बुरा लगता है तो थोड़ा कांग्रेस की प्रशंसा ज्यादा करे और कहें कि वह भी और अच्छा काम करे।

मान्यवर, इस सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं और वह भाषा के सम्बन्ध में है। दिल्ली प्रदेश की भाषा क्या हो इसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री नवल किशोर : हिन्दी है।

श्री श्याम लाल यादव : हिन्दी को लागू नहीं किया है। एक स्पष्ट नीति बनाइये कि यहां की भाषा क्या होगी। सब प्रदेशों की असेम्बलियों ने पास कर के तय कर दिया है कि उसकी भाषा हिन्दी होगी या यह होगी। यहां ऐसा नहीं हुआ। अगर हिन्दी है तो एक उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि यहां की कौंसिल के बिजनेस के लिये हिन्दी भाषा होगी।

मान्यवर, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह मकानों के सम्बन्ध में है। जैसा कि अभी बहिन जी कह रही थीं, यह ठीक है कि दिल्ली में बहुत मकान बनने चाहिये लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि मकान और जमीन को डी० डी० ए० जिस तरह से नीलाम करती है उसका आंचित्य क्या है। नतीजा यह हो रहा है कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास का आदमी उसको ले नहीं सकता, जो मकान और जमीन नीलाम होती है ज्यादा पैसे वाले वहां नीलाम में बोली बोल कर सब ले लेते हैं। यह समाजवाद का कौन सा नारा है? यह गरीबी को दूर करने का कौन सा नारा है? क्या होता है कि जमीन नीलाम होती है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही जमीन खरीद सकता है, साधारण लोग तो उस नीलाम में नहीं जा सकते। होना यह चाहिये था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिये जो कि जमीन ले सकते थे उनको उचित मूल्य पर जमीन उपलब्ध कराते, सस्ते दामों पर लीज पर उनको देते कि जो उसको लेना चाहे वह ले और उस पर मकान बनायें। नीलाम करने से तो लोगों की समस्या हल होने वाली नहीं है।

टैक्सेज के सम्बन्ध में यह सही है कि टैक्सेज तो लगाने ही पड़ेंगे लेकिन, मान्यवर, दिल्ली में जब दुकानों पर जाते हैं तो यहां एक अजीब स्थिति है कि जब कोई आदमी दुकानदार से

माल खरीदता है तो उससे दुकानदार कहता है कि उसका दाम दस रुपया या सौ रुपया है लेकिन जब खरीद लेता है तो लाकर के एक सौ दस रुपये का बिल सामने रख देते हैं। यह बड़ा भारी धोका यहाँ के साधारण नागरिकों के साथ होता है। क्यों नहीं दुकानदार को यह कहा जाता है कि वह सौ रुपया ही दाम बताये तो यह कहे कि सौ रुपया इसका दाम है और इसके बाद इतने पैसे या रुपये टैक्स के हैं। जब माल कोई खरीदने जाता है तो यह बात स्पष्ट नहीं होती। आम तौर पर जो बेपढ़े लोग हैं, गवाँर हैं उनको इस बात का पता नहीं लगता और फिर दुकानदार इस तरह से उनको ठगता रहता है। इसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री नवल किशोर : दिल्ली के आदमी तो पढ़े लिखे हैं, आपने कह दिया कि गवाँर हैं।

श्री श्याम लाल यादव : ठीक है, गवाँर लोग भी दिल्ली में हैं, गवाँर लोग भी दिल्ली में आते रहते हैं। मान्यवर, इन बातों का यहाँ ख्याल रखना चाहिये।

उसके साथ ही जो यहाँ का ट्रान्सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में मैं कहना चाहना हूँ उसके सुधार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह नहीं की। अगर पूरी तौर से आप दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दें, उसे आप मान जाएँ, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी और वे ही सारी व्यवस्था को अपनी हाथ में ले लें। केन्द्रीय सरकार के लिए, मैं समझता हूँ, यह उचित नहीं लगता कि वह इस व्यवस्था को ले। आपको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कोई विशेष संस्था नहीं है, कोई पूरे राज्य का दर्जा नहीं दिया है। मैं समझता हूँ, अगर पूरे राज्य का दर्जा दे दें और उसके अनुसार विधेयक में तरमीम करें तो इसका सबब स्वागत होगा।

SHRI F. H. MOHSIN : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have heard the several Members taking a very keen interest in the debate on this Private Member's Bill, I have also heard Dr. Bhai Mahavir while moving his amending Bill, but I was surprised to see that unlike on previous occasions he was not as forceful as he used to be. Even the hon. Shri Shyam Lal Yadav, he was more forceful compared to him.

SHRI NAWAL KISHORE : That is true.

DR. BHAI MAHAVIR : But it will come out when I reply.

SHRI F. H. MOHSIN : I know he is a very forceful speaker but on this Bill especially I did not see him as forceful...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You are suggesting to him to be forceful in his reply.

SHRI F. H. MOHSIN : Perhaps he will be more forceful in his reply.

DR. BHAI MAHAVIR : I have to be.

SHRI F. H. MOHSIN : And the reason might be that this Bill was conceived in the year 1968 when his party had an influence, when in the Metropolitan Council his party was in power—today it is not. With this Bill he wanted more powers for the Metropolitan Council when his party was in power. That was natural. Perhaps that may be the reason why he was even not so forceful in moving this Bill for consideration.

DR. BHAI MAHAVIR : Now I would be even more.

SHRI F. H. MOHSIN : Well, any way he had conceived it in the year 1968. He could not keep it; he has to discharge it and on 11th August he has done that formal duty. Anyway he has made many points during the course of his speech, and the one point that everybody was making was that Delhi should have a legislature and Delhi should have the statehood as some of the Union territories have acquired. Well, Sir, this is not a new point. This

[Shri F.H. Mohsin]

point has been consistently made by the various political parties including of course Jana Sangh. It is not that party alone for the information of the House ; it was the desire of almost all political parties that Delhi should have Statehood. But that has been consistently denied by the Central Government. It is not today that we are denying it. It was not in 1968, when he brought this amending Bill, that we have denied it. It has been denied on various occasions, whenever this point came before that House. For the information of the House I might quote. The point was made in the Consultative Committee also in the year 1970 ; when Mr. Kanwar Lal Gupta belonging to Dr. Bhai Mahavir's party raised the demand of Statehood for Delhi, the Prime Minister made the following observations :—

"This matter had been discussed many times in the past and there was no scope for two Governments to function in Delhi. Being the Capital, Delhi had its own problems. Even the A.R.C. which had studied the problems of the Union territories had not recommended Statehood for Delhi. There was however room for improvement in the working of the local administration."

Then on 11th November, 1970 in the Rajya Sabha, when the point was raised, the Prime Minister had made the following observations in this regard :—

"Now with regard to Delhi, we have answered this question many times. The question is not economic or any other. The question is that the Capital Delhi happens to be here. Now perhaps some people think it is fortunate that Delhi happens to be the Capital. Our friend may think it is unfortunate. I do not know what it is. But the Capital has to belong to all the States of India ; it cannot be a separate State."

4 P.M.

Again, to a question in the Rajya Sabha on the 12th November, 1970, a reply was given by the Government in this manner :—

"Delhi has been specially carved out from the adjoining Provinces into

a separate administrative unit under direct Central administration to serve as the capital of the country. Government consider that the demand for Statehood is not compatible with the present position of Delhi."

This has been the stand of the Central Government from the beginning. The hon. Member, Mr. Jaisukhlal Hathi, was quoted by Dr. Bhai Mahavir. I would do well to quote him also. When he was moving the Delhi Administration Bill on the floor of the House, his stand was almost the same. I quite from what Mr. Hathi said on that occasion :—

"As to the first point, namely, why not give a Legislative Assembly and Council of Ministers to Delhi, it has been explained here in the House more than once that so long as article 239 stands, the power of Parliament to give a Legislative Assembly or to provide for a Legislative Assembly is restricted only to five Union territories mentioned therein. Article 239 says that in the Union territories the administration will be by the President through an administrator. Now, it may be argued, why not amend the Constitution ? Then, the question is the Constitution can be amended provided it is intended."

Then, again, he says :—

"The Government made it clear on various occasions and for reasons which we understood that in the capital it is not possible, it is not the intention to have a democratic, responsible Government in Delhi. That is clear. Therefore, it is not that we are dishonest about it, or we say that we are coming forward with a Government which is going to be a democratic and responsible Government and still keep back certain things. That is not so. The constitutional position is that the President administers the Union through an administrator. That is the present position."

So, it is clear that the Government, on many occasions, have taken the stand that they never intended to confer on Delhi Statehood and have a Legislature in Delhi. That position stands even today. As for

the Constitution, it is clear that the administration of the Union territory of Delhi also vests in the President acting to the extent that he deems fit through the administrator. The President acts on the advice of his Ministers who are responsible to Parliament here. The administrator of the Union territory is thus the agent of the Central Government responsible to Parliament. However, during the past twenty years a strong sentiment has grown in favour of more responsible and more responsive administration at the local level. In view of this we have evolved a system which, to the extent possible, attempts to satisfy the urge for democratic self-rule, consistent with the interests of the Centre for peace and good government in this area. In some of the Union territories Legislatures with definite functions and Councils of Ministers have been set up. However, Delhi, being the national capital, has got special problems of its own. It has therefore, received special attention and dispensation. So, in formulating a scheme for the administration of Delhi, some factors have to be kept in view, namely, the special responsibilities of the Central Government in Delhi as the national capital and more particularly in New Delhi where the principal offices of the Central Govt. and many foreign Missions are located. The responsibility of the Central Government is to ensure that the administration of the national capital and its development is regulated on sound, efficient and modern lines. The need for ensuring that the Municipal Administration of New Delhi conforms to the standards required by the capital city, the existence of several Central institutions of all-India importance in the fields of education, health, agriculture and research, its relationship with the neighbouring States of Uttar Pradesh and Haryana, the industrial and commercial importance of Delhi, involve the need for continuous co-ordination between the subjects in the State and Union Lists.

Sir, although the Metropolitan Council does not have any of the legislative powers, it can discuss and make recommendations in regard to proposals for legislation with regard to matters on the State List and Concurrent List. It can also propose extension to Delhi of any enactment in force in any part of the country. It can

discuss also proposals for legislation referred to it by the Administrator. It can discuss matters relating to release of funds made available from the Consolidated Fund of India. These are the provisions as regards the functioning of the metropolitan Council. Sir, at any rate Delhi being the capital of the country, we cannot think of conferring Statehood and converting the Metropolitan Council into a Legislative Assembly.

Various other points were made and the powers of the Administrator were referred to by Dr Bhai Mahavir and he quoted many provisions of the Delhi Administration Act also. He also stated that the Metropolitan Council has been treated as a debating society. Of course we do not want to make it a Legislative Assembly. In that sense if he has spoken, we are very clear about it that we do not want to confer legislative powers on the Metropolitan Council. But it cannot be said to be a debating society and it will be rather a disrespect if we call the Metropolitan Council a debating society.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI)
in the Chair]

It has got a very vital role to play to assist and advise the Administrator and in the development of the city as a whole. Delhi city has grown up recently and, Sir, from 26 lakhs the population of Delhi is now over 40 lakhs. The various problems must have increased, the water supply scheme and the transport system and so many other facilities may not be adequate; but that does not mean that the Central Government is relaxing or neglecting to provide facilities in this direction. The NDMC area is a very special area where the foreign Missions are housed, where the Central Government offices are housed. Therefore, this area needs special reservation, special consideration.

Another point that he made was about the Education Bill. He stated that the Education Bill was referred to by the Metropolitan Council in 1969 and said that nothing has been done by the Central Government in that regard. In this connection I may point out that the Central Government has been considering this im-

[Shri F.H. Mohsin]

portant Bill, and it has to consult experts and technical people and legal advisers also. It is in that process and it is receiving the outmost consideration of the Central Government.

DR. BHAI MAHAVIR : When are you bringing this Education Bill ?

SHRI F. H. MOHSIN : Perhaps in this present session we intend to do that. But I am not speaking of the Education Bill but the University Bill. The Education Bill needs more examination and technical and legal advice is being sought. It may require more time. The Delhi University Bill we are thinking of bringing in this session itself. As regards the Delhi Sales Tax Bill it is stated that there has been a delay in this respect also. I might state that the Bill as recommended by the Metropolitan Council was received in the Finance Ministry in May, 1970. The Ministry of Finance referred it to an *ad hoc* Committee. The *ad hoc* Committee finalised its report on 20.3.71 and then our comments were called for. We have also given our comments and it is pending with the Finance Ministry. I am sure that this will also receive the earliest consideration of the Government now.

श्री नवल किशोर : दो साल हो गये इस के लिए ।

SHRI F. H. MOHSIN : Because it has to go to the various Ministries. It concerns the Ministry of Finance. They constituted an *ad hoc* Committee and that *ad hoc* Committee had its own report. Then our comments were called for and we have given our own comments. Then they have to formulate an opinion before it comes in the form of a Bill.

About the Delhi Cooperative Societies Act many members have spoken including Dr. Bhai Mahavir. Perhaps, he may not be aware that the Bill has already been passed into an Act. Perhaps, he was misinformed in this direction. Both the House have passed this Act on the 7th June, 1972. The Act is No. 35 of 1972. So, already the Delhi Cooperative Societies Act is law now.

I have already pointed out about the Delhi Education Bill. It is quite likely that it might be introduced in the present session. It is now being considered by the Cabinet.

He also raised many points regarding the loans to be given by the public sector banks to the small entrepreneurs or the neglected sectors like self-employed persons, small-scale industrialists, scooter drivers, taxi drivers, cycle-rickshaw drivers and so on. Sir, in this direction, the Ministry of Finance has formulated a scheme to grant loans at a very low interest of 4 per cent to people whose demands are very small and that too for persons like cycle-rickshaw drivers, cartpullers etc. whose demand may not be more than Rs. 1,000. So the interest also is very low, at 4 per cent. But for others it may be difficult for the public sector banks to give loans at a very low rate of interest because they have to take into consideration the depositors' interest also. We have to pay them dividends. They cannot be expected to reduce the interest for them to 4 per cent. They are getting interest...

DR. BHAI MAHAVIR : The depositors do not get dividend.

SHRI F. H. MOHSIN : We have to take into consideration their interest also. How can the public sector banks expect to give at 4 per cent and work at a loss ? And the banks cannot sustain for long if they go on giving loans at a low interest. But it may be of interest to you if you notice that quite a large number of people in Delhi have taken advantage of these public sector banks compared to the figures that they had before. Nearly all the persons, excepting about 25 or 30, all those who have applied, have got loans from these banks. Nearly Rs. 1 crore has already been lent to the small industrialists, small entrepreneurs and small-sector people and self-employed people.

Then about self-rule in Delhi many Members have pointed out. Even Shri Shyamlal Yadav was forceful in his speech. I have made a note of that. It is true that an experiment was made between 1952 and 1956, and there was an Assembly, a State Assembly here, and

there was a Council of Ministers also in Delhi. That experiment was tried. The States Reorganisation Commission was appointed and they recommended that the Legislative Assembly should be discontinued. So on their recommendation a decision to put an end to the system of legislative Assembly was taken and the present Delhi Administration Act was enacted. It is not as though we have not tried it. We have already had a trial of the Legislative Assembly system. But that was not so satisfactory.

As for the points made out by Members about water supply or the transport facilities that are provided to Delhi, of course, I can say that they are not perfect and something needs to be done. But I can say that the administration has improved to a great extent.

As regards transport facilities, the Delhi Transport Undertaking was changed to the Delhi Transport Corporation with effect from 3. 11. 71, and I am glad to state that after the taking over, by and large, the administration has improved so far as the working of the transport department is concerned. Many buses are on the road now. The number of buses stopping on the roads has decreased. The number of trips has also increased. The main reason for its unsatisfactory working was due to the fact that a big number of these buses was very old one. A large fleet of buses were more than eight years old ; they had outlived their economic life. Perhaps that was the reason why there was dislocation in the running of this department. Now out of its present fleet of 1,360 buses as many as 524 buses are eight years old. 294 buses were ordered in the financial year 1971-72. 191 have been so far received. For the year 1972-73 a further lot of 250 new buses is expected to be received by the end of the year.

DR. BHAI MAHAVIR : What is the total number on road ?

SHRI F. H. MOHSIN : 1360 today. The number of trips also has increased. And I am glad to state that the loss the D. T. U. was making has also decreased ; it has come down considerably. I can state that within a year or two the Delhi Trans-

port Corporation will certainly improve its working and many Delhi people will not find it any more inconvenient.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Have you been able to clear the mess ?

DR. BHAI MAHAVIR : They are doing their best to complete the mess.

SHRI A. G. KULKARNI : Can you assure the House that the whole mess would be cleared. It is all around in the process.

SHRI F. H. MOHSIN : A point was made about the excise policy of Delhi. The House is well aware that before the excise policy was rationalised a hundred lives were taken by spurious liquor manufacturers. After that, the House is also aware that an enquiry Commission was established under the Chairmanship of Shri R. K. Baweja. After he sent his report so many reforms have been made. The distribution of country liquor has been taken over by the Delhi Administration and it may be within the knowledge of the House that since then the working of these country liquor shops has improved and it has been ensured that each addict gets the minimum quantity of liquor within a reasonable price so that they will not go in for spurious liquor and injure their health. So, Sir, I can only say that the excise policy of Delhi has been rationalised and there is a great improvement in this direction.

Many Members have spoken, though it may not be relevant, about the socialist programme of our party—providing houses, employment and so on. Sir, this is a wider question. But anyway I can tell them that our party has been ushered into power by the people, by a democratic process, and we are committed to it, committed to see that the people who are houseless at least get some kind of shelter. they get some kind of employment so that they can live, and so on. We do not live on slogans alone. We are a party who believe in implementation and during our regime, we will certainly do whatever we have assured to the electorate, because we do not want to be ousted after a five year rule as the Jan Sangh has been ousted in Delhi in the Metropolitan Council and as other parties

[Shri F. H. Mohsin]

have been ousted in other States. Not only have we been returned in good number in Parliament but almost in all the States we have got a very good majority. And we want to continue to take strength from the people to give them whatever we have assured to them.

With these words, Sir, I do not see any reason to accept the amending Bill of Dr. Bhai Mahavir. I think he is not so serious about this Bill now.

SHRI MANUBHAI SHAH : He has been convinced.

SHRI F. H. MOHSIN : Yes. And we will certainly do whatever is possible to see that all facilities are given to the Delhi citizens. This is one of the reasons why Delhi has been kept as a Union territory. We do not want it to be included in Haryana, as some of our party Members have suggested, because the problems of Delhi cannot be solved that way. We can only solve Delhi's problems—because it is the Capital, various problems are there—by keeping it as a Union territory and keeping it under the Central Government. Thank you.

डा० भाई महावीर : उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ मंत्री जी का और उनसे पहले जिन सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार यहाँ पर प्रकट किये उन सबका। मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझे मंत्री जी के उत्तर से निराशा हुई या अपने मित्र श्री मनुभाई शाह के भाषण से निराशा हुई। निराशा तो मुझे तब होती जब वह उससे अलग कुछ बात कहते जिस बात की मुझे अपेक्षा थी, जो मैं समझता था कि कहने का उनको अधिकार अपनी पार्टी की तरफ से मिलेगा उतना ही वह कह सकते थे, इस बिल के गुण क्या है, इस बिल के अन्दर क्या देने की कोशिश की गई है, इस बात पर उनको विचार करने की या तो फुसंत नहीं थी या उनको उचित नहीं महसूस हुआ और श्री मनुभाई शाह जैसे मित्र जो कि केन्द्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनसे इस स्तर का भाषण सुन कर जो इस सदन के लायक मैं किसी हालत में मान नहीं सकता मुझे जरा कुछ निराशा हुई। उन्होंने,

मेयर नामिनेटेड हैं, यह सब कहा। उसके बाद हमारी बहिन सविता जी ने यह बात कही कि मेयर नामिनेटेड है। सविता जी कह सकती हैं क्योंकि उनका नो संसर इतना नहीं रहा जितना कि सहकारिता रहा है—पिछली बार उन्होंने स्वयं कहा था कि उन्होंने बहुत देर सहकारिता में काम किया है, दिल्ली की सहकारिता का जो कुछ हाल है इसमें उनका कितना श्रेय है यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन वह हालत कोई अच्छी नहीं है यह तो वह भी मानती है, लेकिन श्री मनुभाई शाह तो संसदज्ञ हैं, वह तो संसदीय प्रणाली और एक-एक शब्द के अर्थ जानते हैं, वह अगर इनडाइरेक्ट इलेक्शन और नामिनेशन का तर्क नहीं समझेंगे, तो, महोदय, मेरे लिये उनका समझने की कोशिश करना छोटी मुह बड़ी बात लगेगी। लेकिन मैं उनको याद दिला दूँ कि पिछली बार जो मैंने उद्धरण दिये थे, उसमें यही बात थी श्री उनकी पार्टी के एक सदस्य है श्री एच० के० एल० भगन जो कि इस समय लोक सभा के सदस्य हैं, उनको जब पूछा गया डा० महीषी की तरफ से तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया था। वह दो वाक्य मैं फिर से दुहराने की जरूरत समझ रहा हूँ। डा० महिषी ने पूछा था—

“If the Delhi Corporation in its wisdom has not found it advisable to have an elected member for mayorship, how is it you are advocating this? The Mayor is appointed from among the aldermen,

SHRI H. K. L. BHAGAT : The same argument will apply to Parliament. The Members of the Rajya Sabha are indirectly elected. But there is a difference between nominated Member and an indirectly elected Member”.

महोदय, यदि इनडाइरेक्टली इलेक्टेड मेम्बर को नामिनेटेड मेम्बर समझा जाता है तो कहना पड़ेगा कि इस सदन के सारे सदस्य नामिनेटेड मेम्बर हैं और स्वयं राष्ट्रपति भी नामिनेटेड हैं। लेकिन मनुभाई शाह इस तर्क के ऊपर अपना सारा केस खड़ा करे यह मुझे कुछ चकित कर

देने वाली बात मालूम हुई। उसके अलावा जो कुछ उन्होंने कहा वह तो किमी मंच के ऊपर, किसी चौक या चौराहे पर कही जाने वाली बातें हैं—ये हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ये उखड़ गए हैं, ये अब शोर मचा रहे हैं, हम शोर नहीं मचा रहे हैं, हम बड़े जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको किसी ने नहीं पूछा, इनको हरा दिया। ये बातें दिल्ली के हर चौराहे पर हर कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्त्ता से हफ सुनने हैं, सुन चुके हैं। मनुभाई शाह से भी यही सुनना था तो इसके लिए इस सदन का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। परन्तु, महोदय, मनुभाई शाह इसके कुछ और आगे जाते तो मुझे खुशी होती, इस बिल के बारे में कुछ कहते, इस बिल के उद्देश्यों का कुछ बखान करते। उनको केवल एक ब्रीफ मिला था कि दिल्ली के जितने एकजी-क्यूटिव कौंसिलर्स हैं उनके नाम लेकर बड़ी-बड़ी तारीफें कर दें कि उन्होंने बड़े काम कर दिए, एक्साइज पालिसी नयी बना दी, उसमें रेवेन्यू आ गया। मैं आपसे निवेदन कर दूँ, एक्साइज पालिसी से अब भी आप रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप उसको ठीक तरीके से चलाएं। अगर आपने नशाबंदी की वह नीति नहीं चलायी होती तो आप अरबों रुपये प्राप्त कर लेते। आपने नशाबंदी की कौन सी नीति का प्रतिपादन किया? आपने यह नहीं बताया, इन नयी दुकानों को खोलने के वास्ते कितना पैसा लगाया है। महोदय, मैं उन सारे विषयों में जाकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मैं इस बात से प्रारम्भ करना चाहूँगा कि यह सवाल उठाया क्यों गया। मंत्री जी ने कहा, इस सवाल की बहुत चर्चा हो चुकी। एक बार बिल आ चुका तो आज फिर नया यह बिल लाने की क्या जरूरत थी? महोदय, मेरा कहना यह है कि दिल्ली का भावी ढांचा क्या हो, यह सवाल अभी तक सरकार की तरफ से भी निश्चित नहीं हुआ है और अगर सरकार की तरफ से निश्चित हो चुका है—ऐसा मंत्री जी का कहना

है—तो मैं उनके ध्यान में दिलाऊँगा कि पिछले अधिवेशन के समय तक श्री पन्त, दिल्ली के संसद् सदस्यों को बुलाकर, दिल्ली का आगे का ढांचा कैसा होना चाहिए इसके बारे में बातचीत करते रहे, परामर्श करते रहे—डी० टी० सी० अलग हो या कि दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाइ अलग हो, कारपोरेशन और मेट्रोपोलिटन कौंसिल एक ही हो या दोनों के फंक्शन्स को अलग-अलग रखा जाए, मेयर इन कौंसिल हो या मेट्रोपोलिटन कौंसिल को अधिकार ज्यादा दिए जाएँ? ये सारे प्रश्न अभी खुले हुए हैं और सरकार ने अभी तक अपना मानस इसके बारे में अन्तिम रूप से नहीं बनाया। यदि यह वास्तविकता है तो आज ही यह संयोग की बात है, एक प्राइवेट मੈम्बर का बिल कब बनता है, कब आता है और तमाम बिल हमारे मेम्बरों के साथ ही सदन से चले गए, लेकिन यह एक संयोग की बात है कि मेरे यहाँ रहते हुए यह बिल आ सका। लेकिन इसमें योगायोग ऐसा है कि जिस समय सरकार ने दिल्ली के ढांचे के बारे में फैसला नहीं किया उन्ही समय यह आया है। इसलिए मैं समझता था कि सरकारी पक्ष और दूसरे माननीय सदस्यों के सामने यह विचार का अवसर देगा कि दिल्ली के भविष्य के बारे में, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के बारे में वे गंभीरता से सोचें और इसका कोई रास्ता बताएं। वैसी बात बताने की कोशिश महोदय, दूसरी तरफ से नहीं की गई और केवल इतनी बात को लेकर श्री राधारमण एक्जीक्यूटिव कौंसिलर बन गए—कहना कि कौन सी बड़ी आफत हो गई, आडवाणी जी भी तो थे। मगर मनुभाई शाह नहीं जानते थे कि आडवाणी जी एक्जीक्यूटिव कौंसिलर नहीं थे, आडवाणी जी चेयरमैन थे। जो सेलेक्ट कमेटी के उद्घरण मैंने बताए, उनमें एक्जीक्यूटिव कौंसिलर की बात है, चेयरमैन की बात नहीं और इसी वास्ते मैंने मीर मुश्ताक अहमद के चेयरमैन बनने की बात नहीं कही। वह भी नोमिनेटेड है, वे चेयरमैन

[डा० भाई महावीर]

बने हैं, लेकिन चेयरमैन के हाथ में महोदय, एक्जीक्यूटिव पावर नहीं होते हैं। दिल्ली में एक्जीक्यूटिव पावर्स एक्जीक्यूटिव कौंसिलर और भारत सरकार के हाथ में हैं। वे एक्जीक्यूटिव कौंसिलर्स नामिनेट नहीं होंगे इस तरह का इस सदन और दूसरे सदन के भीतर स्पष्ट, कमि-टमेंट देने के बाद, इस तथ्य को आज सरकार सामना करना नहीं चाहती। मगर हमारे सरकारी पक्ष के बंधु इसके बारे में कुछ भी जवाब देने की कोशिश क्यों नहीं करते। यह तो कोई जवाब नहीं हुआ कि आपके पास कुछ नहीं हुआ तो शोर मचायेगे। लेकिन किसी हार के कारण या किसी हार के डर के कारण ज.स.घ. के सदस्य अपनी पार्टी छोड़ कर उधर नहीं जा बैठे हैं, जिस तरह मे मनुभाई शाह जाकर बैठ गये हैं। इस वास्ते कम से कम वे हमें इस तरह का उपदेश न दें, क्योंकि हम एक सिद्धान्त के लिये खड़े होते हैं और उस सिद्धान्त के लिये हार भी सकते हैं, उसके लिए जीत भी सकते हैं, उसके लिये फिर काम कर सकते हैं और समय आने पर फिर जीत कर दिखलायेंगे। परन्तु महोदय, हारने और जीतने की बात इस सदन में बाहे को की जाती है। इस बात को तो चुनाव पर छोड़ दिया जाना चाहिये, बेलेट पर छोड़ दिया जाना चाहिये और लोगों के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिये। आपने चुनाव जीता, इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन वह चुनाव आपने गरीबी हटाओ के नाम पर जीता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तब से कितनी गरीबी हटी? आज देश से गरीबी हटी है, यह बात आज देश की जनता से जाकर पूछिये, गरीबों से जाकर पूछिये, दरिद्रों से जाकर पूछिये। आज महंगाई की वजह से एक साधारण आदमी की कमर टूट रही है और उसकी जान सूख रही है। 1947 में रुपये की कीमत पूरी थी, लेकिन आज आपकी आर्थिक नीतियों की वजह से रुपये की कीमत

केवल 25 पैसा रह गई है। आज हमारे देश में करीब पाने चार करोड़ बेकार पड़े हुए हैं। आपने इस देश की भोली जनता को गरीबी हटाओ का नारा लगा कर, उसको बहका कर चुनाव लड़ा और जीता। आपने विधान सभाओं के चुनाव बाला देश में जीत के कारण जीते। यह बात कोई बतलाये कि बंगला देश के अन्दर जो कुछ हुआ उसका विधान सभाओं के साथ कोई सम्बन्ध था? क्या स्टेट की न.ति.यां उस पर बनने वाली थी कि बंगला देश को मान्यता मिलती है या नहीं मिलती है? परन्तु आज आप चुनाव जीते और यह भी हम मानते हैं कि जो आप चुनाव जीते हैं, वे तिकड़म की वजह से जीते हों, नारेबाजी की वजह से जीते हों, लोगों को बहकावे में डालकर जीते हो, लोगों को सबजबाग दिखलाकर जीते हों। आप चुनाव इस तरह से जीते और यह बात सच है और इस बात को हमने कभी इन्कार नहीं किया और इन्कार करने का सवाल भी नहीं है। परन्तु दुःख तो इस बात पर होता है कि आपने इस बात पर ही सारा जोर लगा दिया, अपने तर्कों का दारोमदार रख दिया कि हम चुनाव हार गये हैं, इसलिये यहां पर शोर मचाते हैं। अगर आपका यही ख्याल है तो फिर इस सारे सदन की कार्यवाही को खत्म कर देना चाहिये, बन्द कर देना चाहिये क्योंकि आपको तो मंसिव मन्डेट मिल गया है और इस वास्ते जिस सवाल के ऊपर जैसा फैसला हो वह करते जाइये।

आज हमारे बहुत से माननीय सदस्य सदन में बैठना तक गवारा नहीं करते हैं। आजकल लोक सभा के अन्दर दिन में कोरम के लिये सोलह-सोलह बार घण्टी बजानी पड़ती है। जो सदस्य लोगों का विश्वास लेकर आये हैं, उन्होंने अब समझ लिया है कि हमें तो विश्वास मिल गया है और हमारे प्रधान मन्त्री जी से बढ़ कर और कौन योग्य हो सकता है? जब

प्रधान मन्त्री जी बैठे हैं तो फिर हमको अपने दिमाग को एकलीफ देने की जरूरत नहीं है और इसलिए हम घर में सोते रहें तो ठीक है।

मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ जो कुछ यहां पर सरकारी दल के सदस्यों ने कहा। परन्तु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि कम से कम अपने तर्कों में उन्होंने यह तो कहना चाहिये था कि दिल्ली के लोगों को ऐसी सरकार चाहिये जो उनके प्रति जिम्मेदार हो। दिल्ली के लोगों को ऐसा प्रशासन चाहिए, जो जनता के लिए जवाबदेह हो, जिसके कान पकड़ कर पूछा जा सके कि आपने यह कार्य किया तो क्यों किया। इस तरह की बात कहने की उन्होंने जरूरत नहीं समझी।

शाहदरा के अन्दर जो कुछ हुआ और यहां पर उमका इतना हवाला दिया गया, अगर चुने हुए कौंसिलर होते तो वे किस तरह से अपने इलेक्टरेट से फेस सकते। अगर ऐम कौंसिलर होते जिन्हें मेट्रोपोलिटन कौंसिल में जवाब देना पड़ता, तो क्या आज इस तरह की ज्यादाती पुलिस कर सकती थी, जिस तरह का रोमांचकारी वर्णन शाहदरा पुलिसकान्ड के सम्बन्ध में यहां पर बतलाया गया? क्या इस तरह की बात हो सकती थी? अगर होती तो फिर एग्जीक्यूटिव कौंसिलर को इस्तीफा देना पड़ता या फिर उन आफिसरों को मोमुत्तिल करके उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी पड़ती। लेकिन सी० सी० के अखबार में बयान देख कर दया आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिये; क्योंकि शाहदरा के अंदर इस तरह की बातों की गई है। यहां पर भी उस दिन इस बात का हवाला दिया गया कि जब सी० सी० यह कह रहे हैं कि शाहदरा के अन्दर जरूर पुलिस ने ज्यादाती की है, तो मेरा तर्क यह है कि अगर दिल्ली के अन्दर सचमुच जिम्मेदार

सी० सी० होता, जिम्मेदार मुख्य कार्यकारी परिषद् होती, तो वे अखबारों में बयान देकर बैठ नहीं जाते कि इन पुलिस अधिकारियों को हटा देना चाहिये। वे तो उनको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने दल के चुने हुए लोगों को अधिकार नहीं दिया है। मेरे बिल में यही बात की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप लोग इसे दूसरे रूप में ले रहे हैं।

हमारे भाई मनुभाई मुफ्फरा रहे हैं। यहां पर यह बात कही गई, शायद बहिन जी ने यह बात कही या किसी दूसरे भाई ने कही, मैंने इस बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया। यहां पर यह बात कही गई कि जब जनसंघ यहां पर था, तब यह बिल बनाया गया था और अब इस बीच जनसंघ नहीं रहा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका मेट्रोपोलिटन कौंसिल के अन्दर बहुमत है, लेकिन इसकी वजह से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यह अधिकार मत दीजिये। हमारे राधारमण जी हैं, मीर मुश्ताक चैयरमैन हों, या दूसरे एग्जीक्यूटिव कौंसिलर्स हों, वहन साहब हों, क्योंकि यहाँ पर मनुभाई साहब ने उनके गुण गाये हैं, हो सकता है वे अच्छा काम करने में सफल हो जायें, परन्तु जो अच्छा काम वे कर रहे हैं, या बुरा का कर रहे हैं यह बात आप दिल्ली के लोगों के ऊपर निर्णय पर छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं। आप यह क्यों चाहते हैं कि ऊपर से नामिनेट करके वहां पर बिठलाया जाय क्योंकि उनको भी यह पता है कि उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता है, उनके खिलाफ कोई नो कांफिडेंस मोशन नहीं आ सकता है, दिल्ली के लोगों के हाथों में हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इस तरह की जो स्थिति है, वह अच्छी नहीं है। एक तरफ पुलिस ने शाहदरा का दृश्य उपस्थित किया और आज, मुझे दुःख है, मुझे दूसरे दृश्य का हवाला देना पड़ रहा है। दूसरा कौन सा रूप है दिल्ली की पुलिस का?

[डा० भाई महावीर]

12 अगस्त को दिल्ली की पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने, जो स्मगलिंग करने वाली गाड़ियों को रोक रहे थे, गुडगांव की सड़क पर एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, स्टेशन वैगन थी, वह स्टेशन वैगन रुकी नहीं। एक हेड कांस्टेबल आगे खड़ा हो गया लेकिन ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला कर ले गया। हेड कांस्टेबल मडक पर खड़ा था, उसके हाथ में डंडा था, गाड़ी रुकी नहीं तो उसने डंडा गाड़ी के ऊपर मार दिया। गाड़ी निकल गई, ये पुलिस कर्मचारी वही खड़े रहे। महोदय, वान यहीं तत्तम नहीं हुई। फिर इसके बाद माहति लिमिटेड जो श्री संजय गांधी की छोटी कार बनाने वाली कम्पनी है उसकी ओर से टेलीफोन गया दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कि आपके किन्हीं कर्मचारियों ने हमारी कार को डेमेज कर दिया। स्मगलिंग को रोकने वाले पुलिस कर्मचारियों के कहने पर गाड़ी नहीं रुकती, निकल जाती है, जाते-जाते एक डंडा उसके लग जाता है और उस डंडे की शिकायत पर दो सब-इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया। इन दोनों सब-इंस्पेक्टरों के नाम मैं दे सकता हूँ, सुरजीत सिंह और हुकम चन्द। ये दोनों सब-इंस्पेक्टरों सस्पेंड कर दिए गये।

श्री मनुभाई शाह : यह इरिलेवेन्ट है।

डा० भाई महावीर : यह इरिलेवेन्ट कैसे है ? आपने सारा रिलेवेन्ट बोला है, अब इरिलेवेन्ट भी सुनिये। दो सब-इंस्पेक्टरों सस्पेंड किए गए किम गलती की बिना पर, क्या गुस्ताखी थी, उनकी गुस्ताखी यह थी कि उन्होंने श्री संजय गांधी की मोटर को रोकने की जुर्रत की। भला इस डेमोक्रेसी के अन्दर, जहाँ समाजवाद आ रहा है, घोड़ों पर सवार होकर यहाँ कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री के बेटे की कम्पनी की कार को रोकन का साहस कर जाय ? कौन से लोकतन्त्र

में इसकी इजाजत है ? जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मैंने सदन में इसको उठाने की अनुज्ञा चाही तो मुझसे यह कहा गया कि यह खबर केवल मदरलैंड में छपी है, हो सकता है निराधार हो। मैंने गृह मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा को लिख कर भेजा कि इस खबर के बारे में जांच करके बताएं कि यह घटना हुई या नहीं और अगर हुई तो क्या पुलिस के दो सब-इंस्पेक्टरों को सस्पेंड किया गया इस बेसिस पर। मुझे परमों श्री रामनिवास मिर्धा का पत्र मिला कि यह खबर सही है कि दो पुलिस आफीसर्स को सस्पेंड किया गया। यहाँ सारे शाहदरा कान्ड के बाद, इस सदन में हंगामा होने के बाद, सदस्यों की मांग के बाद, निहत्थी महिलाओं के ऊपर हमला करने के बाद, बच्चों को गोली से उड़ा देने के बाद, नंगी महिलाओं को गुसलखाने से खींच लेने के बाद जो श्री पन्त एक पुलिस अफसर को सस्पेंड करने के लिये तैयार नहीं हुए, उन्हीं श्री पन्त की मिनिस्ट्री या श्री पन्त स्वयं माहति लिमिटेड के एक टेलीफोन के ऊपर दो सब-इंस्पेक्टरों को सस्पेंड करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस अधिकारी ने उनको सस्पेंड किया। जिस अधिकारी ने उनको सस्पेंड किया उसको आप चापलूसी के पदका अवश्य दे सकते हैं। अगर कोई पदम विभूषण हो सकता है चापलूसी का तो उसको दे सकते हैं, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया...

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, a new point has been made out by him. He has brought in the name of Shri Sanjay Gandhi. This is a new point in his reply which he cannot raise. If he is allowed to raise that point, then I may also be allowed to reply to that point.

डा० भाई महावीर : ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : Mr.

Mahavir, this has never been done. You are only replying to the debate.

DR. BHAI MAHAVIR : Yes, I am replying to the debate.

SHRI OM MEHTA : But in your reply, you should not raise any new point.

DR. BHAI MAHAVIR : Let him stand up and reply to my point.

SHRI G. R. PATIL (Maharashtra) : Sir, on a point of order. I want to know whether, in his reply, the honourable Member can raise any new point.

SHRI OM MEHTA : This is something strange. Then, it will go on for all times. If he wants, just now the Minister can say something on that.

DR. BHAI MAHAVIR : Yes, let him say.

SHRI OM MEHTA : But, you see, no new point should be raised.

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, he has raised a point and let me reply to it. This point was rather unnecessary and yet it has been brought in in this debate and it was irrelevant also. I do not know why Dr. Bhai Mahavir has chosen this debate to bring in this incident which has taken place...

DR. BHAI MAHAVIR : It is connected with the Delhi law and order situation.

SHRI F. H. MOHSIN : ... on the 3rd August and it is not a recent incident.

DR. BHAI MAHAVIR : 3rd August ? No. It is 12th August.

SHRI F. H. MOHSIN : It is 3rd August.

Sir, the police had information that a notorious smuggler of Darya Ganj was indulging in smuggling liquor from Haryana to Delhi. With a view to checking this activity, a raiding party of the Crime Branch of the Delhi Police decided to check vehicles on the border on the Delhi-Gurgaon Road. The raiding party consisted of Sub-

Inspectors, Shri Surjit Singh and Shri Hukam Chand of the Crime Branch with other lower subordinates. On 3.8.72 at about 3.00 A.M. the party reached the border near Kaparhera village and started checking vehicles coming from the direction of Gurgaon. Three or four vehicles were signalled to stop but none cared to stop. As it was night time and the vehicles sped away, their numbers could not be noted for challaning them under section 78 and section 112 of the Motor Vehicles Act. At about 5.15 A.M., Bus No. DHA 8851 driven by Shri Atma Singh came from Gurgaon side and the police party tried to stop it. The vehicle did not stop. Thereupon, some members of the police party hit the vehicle with a lathi causing a dent and some members of the party also threw stones at the vehicle. Shri Atma Singh, driver of the vehicle, lodged a report of this incident at Police Station Najafgarh on 3.8.72 at 9.10 A.M.

Inquiry into the incident was made by the Superintendent of Police (South District) and by the Superintendent of Police (Crime and Railways). The allegations made were corroborated by the Caretaker of a Petrol Pump located near the scene of the incident. The actions of the members of the party in striking the bus with a lathi and in throwing stones at it amounted to misbehaviour with the public while on duty. Sub-Inspectors Hukum Chand and Surjit Singh were, therefore, suspended on 4.8.1972 by the Superintendent of Police (Crime and Railways). The District Magistrate, Delhi, has granted permission to hold an enquiry under rule 16.38 (1) of the Punjab Police Rules. S. D. M., Punjabi Bagh, is now holding the enquiry.

DR. BHAI MAHAVIR : Whose car was that ?

SHRI F. H. MOHSIN : It was a bus not a car.

श्री इशाम लाल यादव : बस कैसे थी ।
बस कैसे भाग जायगा ।

(Interruption)

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं मंत्री जी का आभारी हूँ । मैं इस मामले को आगे नहीं ले

[डा० भाई महावीर]

जाऊगा क्योंकि हमारा वार्तालाप शुरू हो जायगा।

(Interruption)

श्री गुरानन्व ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य महावीर जी ने जो अभी एक इन्टर्लैट कहिये, अप्रासंगिक चर्चा (Interruption) अ राम से सुनिये। मेरा यह कहना है कि इस सिलसिले में जो उन्होंने सजय गांधी को घसीट कर बदनाम करने की कोशिश की और फिर मंत्री जी ने जो उनको जवाब दिया है, उसके बाद श्री भाई महावीर अपना प्रसंग बापस लें लें या उसको निकास दिया जाय।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): मेरे ख्याल से उसका जवाब हो गया। डा० भाई महावीर ने खुद कहा है कि वे इस चीज को छोड़ रहे हैं। इस लिए अब और कोई आवश्यकता नहीं है।

डा० भाई महावीर: महोदय, मुझे इसमें केवल इतना कहना है कि मैंने यह सारी बात पत्र का हवाला देकर के, अखबार का हवाला देकर के श्री मिर्धा से पृच्छी थी। उन्होंने जो कर्म किया और आज जो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसका उस कंफर्मेशन के साथ मेल नहीं बैठता है। खैर, इस सवाल को इस समय मैं और आगे नहीं ले जाऊंगा। परन्तु मुझे इतना कहना है कि अगर किसी बस को किसी जगह पर पुलिस का कोई कर्मचारी लाठी मारता है, उस घटना की वान मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली की किसी भी रडक पर कर्तव्य पर खड़ा पुलिस का कर्मचारी यदि किसी बस को जिस को वह रोकना चाहता है और वह रुकती नहीं है, तो महोदय हमारे सामने उदाहरण हैं कि गोली चला कर के, टायर बस्ट करके बसों को रोका गया जिन पर स्मगलिंग का शक था। परन्तु यहां पर पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। यदि पुलिस वालों ने मनमानी की तो आप उनको सस्पेंड कीजिये।

मैं पुलिस वालों का समर्थक नहीं हूं। हम शाहदरा में जो कांड देख कर आये हैं, उसे देख कर महोदय, मुझे यह कहना है कि दिल्ली की पुलिस को ऐसा बनावे कि जो अपने कर्तव्य के लिए तो डट कर खड़ी हो सके और निहत्थे और निर्दोष लोगों पर जुल्म करने का साहस कभी न कर सके। महोदय, आज ऐसी स्थिति नहीं है। इस वास्ते इस बिल के सम्बन्ध में मुझे जो कहना था वह यही कि दिल्ली के घुने हुए प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह पुलिस के ऊपर भी नियंत्रण रख सकें। महोदय, आज ऐसा नहीं है और इस लिए हमारे कुछ साथियों ने, श्री मनुभाई शाह ने और बहिन सविता जी ने कुछ बातें कही हैं जिन का मुझे जवाब देना जरूरी है। सविता बहिन जी ने कहा कि असेम्बली दिल्ली में कोई नहीं चाहता। अगर दिल्ली के लिए असेम्बली दी गयी तो वह सफेद हाथी होगा और दिल्ली के लोगों के साथ एक अन्याय होगा। महोदय, उनको शायद पता नहीं कि मेट्रोपोलिटन कौंसिल के अन्दर कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के वोट के साथ, एक मत से दिल्ली में असेम्बली होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव आ चुका है और केन्द्र सरकार के पास है। लेकिन अगर जिन सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने वह वोट दिया था वह दिल्ली में कोई नहीं हैं और उन का दिल्ली के अन्दर कोई स्थान नहीं है, केवल सविता जी जो कहेंगी वही दिल्ली के लोगों की आवाज है तो वह पहले अपने उन मित्रों, अपने उन सदस्यों के साथ फंसला कर लें और कह दें कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम उनका कहना काफी समझ लेंगे। लेकिन यह एक रेकार्ड की बात है कि मेट्रोपोलिटन कौंसिल का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होकर यहां आ चुका है। तो मंत्री जी ने एक जवाब दिया कि: 'All the parties have been asking for an Assembly.' लेकिन सविता जी कहती हैं कि कोई मांगता नहीं, अगर सरकार देगी तो वह

बड़ा भारी जुलम होगा, ग्रन्थाय हो जायगा दिल्ली के लोगों के साथ मैं बहिन जो को और हमारे मित्र मनुभाई शाह जी और दूसरे सदस्यों को कोई दोष नहीं देता। यह बिल हमारी तरफ से आया है। विरोधी पक्ष के किसी सदस्य की तरफ से आया है इसलिए उनको यही बात कहनी थी। उनको इसके अन्दर गुण तब दिखायी देते अगर कोई उनको यह बता देता कि यह प्रधान मंत्री के आशीर्वाद से आया है। तब तो शायद उनको इसके अन्दर गुण ही गुण दिखायी देते। महोदय, एक महफिल में संगीत चल रहा था। एक सज्जन गाकर जब हटे तो दूसरे ने उनसे कहा कि यह तो गाया, लेकिन दादरा भी गाइये। उन्होंने कहा कि यह वादरा ही था जो मैंने गाया था। तो वे कहने लगे कि यह दादरा था तो बड़ा बढ़िया था। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती...

श्री ओम् मेहता : भाई महावीर तो नहीं थे ?

डा० भाई महावीर : तो हमारे माननीय सदस्यों का ऐसा ही रवैया था।

श्रीमती सविता बहिन : अपोज किया था आप ने।

डा० भाई महावीर : हमने तो कहा कि अपोज किया था और आज समर्थन करते हैं इसलिए कि पांच साल के मेट्रोपोलिटन कौंसिल के सजुर्वे से हम इस नीति पर पहुंचे हैं कि मेट्रोपोलिटन कौंसिल दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर सकती और इसलिए उसको वास्तविक अधिकार होना चाहिये। इतना कहने के बाद फिर आप की शिकायत का सवाल कहा रहता है। महोदय, बहिन जी ने कहा कि एक्सप्रेस बसें तो जनसंघ ने चलायी (Time bell rings) महोदय, मुझे जवाब देने दीजिए क्योंकि कुछ बातें महत्व की हैं जो रेकार्ड में आनी चाहिए। तो एक्सप्रेस बसें जनसंघ ने चलायी और यह सच है, लेकिन हमने कुछ बसों को एक्सप्रेस

किया था, आप ने बाकी सब बसों को एक्सप्रेस करके, उनकी तादाद न बढ़ा कर, सब पर पांच पैसा किराया ज्यादा ले लिया है और ज्यादा किराया लेने के कारण कहा जाता है कि घाटा कम हो गया। महोदय, इस बात का मैं सबूत नहीं देना चाहता, लेकिन ओम् मेहता जी इस बात को मानेंगे कि केन्द्रीय सरकार काफी अरसे से दिल्ली के म्युनिसिपल कारपोरेशन पर दबाव डाल रही थी कि बसों का किराया बढ़ाया जाय और इसीलिए कर्ज तक देने के लिए सख्ती की जा रही थी...

श्री ओम् मेहता : माफ कीजिएगा, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक कोई किराया नहीं बढ़ाया गया। एक्सप्रेस सब्सिडी जब डी० टी० यू० था तब से चल रही है, उसमें, दस बारह गाड़ियां भले ही ज्यादा हो गयी हों, लेकिन यह ठीक नहीं है कि बहुत सी बसेज को एक्सप्रेस कर के किराया ज्यादा लिया जा रहा है।

डा० भाई महावीर : लेकिन एक्सप्रेस बसों की रफ्तार भी नहीं बढ़ी और उनके स्टापेज भी कम नहीं हुए।

महोदय, बहिन जी ने भुग्गी-भोपड़ी के लोगों के बारे में कहा कि उनको जनसंघ के लोगों ने गंदी बस्तियों से निकाल कर बाहर भेज दिया और यह जेल गये। मुझे याद है जब वह जेल गये थे, लेकिन उसी समय उनको छुड़वाने का हुकम भी हो गया था। लेकिन जब जेल गये थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि चलो, कम से कम बीस, बाइस साल के बाद जेल जाने का मौका तो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को आया। पिछला जेल गये हुये का जो रिकार्ड था वह सारा खत्म हो चुका था, परन्तु आप जेल गये या नहीं गये यह सवाल नहीं, मुझे यह बताइये कि भुग्गी भोपड़ी निवासियों की जो कालोनीज बनाई गई उनके ऊपर मित्त्विकत के अधिकार की जनसंघ के प्रशासन ने मांग की या नहीं और यदि की तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार किया ?

[डा० भाई महावीर]

सवाल यह है। सवाल यह नहीं था कि आप जेल गये या नहीं। हो सकता है कि आपके मन में बड़ी हमदर्दी होगी लेकिन उस हमदर्दी से कुछ नहीं होगा, मैंने जो कहा है वह यह है कि जो कुछ उन लोगों ने मांग की केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया।

महोदय, जनसंघ के लोगों ने डी० डी० ए० के अन्दर पार्शियलिटी की, आपने कहा। डी० डी० ए० जमीन देती थी। हमारे आने से पहले वह नीति क्या थी? छोटे-छोटे प्लॉट्स, सौ, एक सौ पचास गज के, नीलाम करती थी और उनकी कीमत डेढ़ सौ रुपये और दो सौ रुपये गज तक जाती थी और जो बड़े-बड़े प्लॉट्स थे, सिनेमा के प्लॉट्स थे, कोल्ड स्टोरेज के प्लॉट्स थे, वह नीलाम नहीं होते थे, वह एलाट होते थे। हमने कहा कि जहां लाखों रुपया कमाया जायगा वहां आप एलाट करते हैं और जहां एक गरीब आदमी, एक मध्य वर्ग का आदमी, छोटा सा मकान बना कर रहना चाहता है उसको आप आक्शन करते हैं। जनसंघ ने आकर यह बदला, छोटे प्लॉट्स जो हैं उनका एलाटमेंट और बड़े प्लॉट्स का आक्शन, यह शुरू किया। एलाटमेंट भी कैसा? कोई कह देगा कि अपने-अपने लोगों को एलाट कर दिया। बार-बार यही कहा जाता रहा। हमने कहा कि एक भी केस बताइये लेकिन हमारे मनुभाई शाह या किसी को हिम्मत नहीं हुई, मनुभाई शाह को ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं हुई तो कह दिया कि भगुबा रंग हमने देखा इस वास्ते भगुआ रंग वाले वहां चले गये। मैं आपसे निवेदन कर दूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : अब आप खत्म कीजिये।

डा० भाई महावीर : महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि जनसंघ लोगों ने एक बात की कि जितनी डिसक्रिशनरी पावर्स आपके एग्जीक्यूटिव कौंसिलर्स ने ले रखी थी, कालेज में एडमिशन के लिये, नौकरियों के लिये, एलाट-

मेंट्स के लिये, प्लॉट्स के लिये, वह सारे डिसक्रिशनरी पावर्स को अपने आप एबडिकेट करने का काम जनसंघ के एग्जीक्यूटिव कौंसिलर्स ने किया। एक उदाहरण बतायें, कांग्रेस के किसी मिनिस्टर्स ने किया हो।

(Time bell rings)

महोदय, गन्दी बस्तियों की बात की। कांग्रेस का दिल्ली के अन्दर 1947 ई० से बीस साल तक लगातार शासन रहा लेकिन दिल्ली के शहर के अन्दर जो कटड़े हैं, गन्दी बस्ती है, जिनके अन्दर न धूप जाती है न रोशनी है, न पानी था, जिनके अन्दर एक भी शौचालय नहीं था, उनके ऊपर कांग्रेस ने एक पैसा भी बीस सालों तक खर्च किया हो तो शाह साहब और सबिता जी बतायें लेकिन जनसंघ ने उन कटड़ों को सुधारने का काम किया, लाखों रुपया खर्च किया। महोदय, यह सब किया है। मगर इसके बाद भी जनता को अधिकार है वह बदल सकती है अपने प्रतिनिधियों को, हमको इसका कोई रंज नहीं, हम यह कहते हैं कि जनता आखिर में इस देश की स्वामी है तो जनता को यह अधिकार दीजिये कि वह जिन लोगों को भेजे उन लोगों से वह जवाब मांग सके कि आपने हमारी सुविधा के लिये क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्यों नहीं किया है।

महोदय, दिल्ली एजुकेशन बिल का जिक्र किया। 1969 ई० से अब तक उस पर विचार-विमर्श हो रहा है और कहते हैं अभी भी कुछ समय और लगेगा तीन वर्ष होने के बाद। उस बिल में क्या है जिस पर विचार-विमर्श होना है। टीचर्स के लिये सिक्योरिटी आफ सविस है, उनको सैलेरी, तनखावा, ट्रेजरी से मिले इसकी व्यवस्था है और उनकी रिटायरमेंट 60 साल तक हो जाय यह व्यवस्था है। लेकिन ये तीन प्रश्न हमारी सरकार के मुहकमे की मेजों पर फाइलों के बीच में घूम रहे हैं। अब तक कुछ हुआ नहीं। यही शिकायत मेरी है कि लोगों के भले के लिये, अध्यापक के हित के लिये, एक

बिल अगर बना कर भेजा जाता है तो पार्लियामेंट के पास समय नहीं, केन्द्रीय सरकार के पास समय नहीं। अगर राज्य होता, असेम्बली होती तो इतनी देर में इस कानून को बना कर स्थापित कर दिया होता, लागू कर दिया होता।

महोदय, बहिन जी कह रही थीं दिल्ली सेल्सटैक्स के बारे में कि मल्टीपिल सेल्सटैक्स का भेजा है। उनको मालूम होता है कि कुछ भ्रम हो गया।

श्रीमती सविता बहन : सेल्सटैक्स का बिल आपने भेज दिया था।

डा० भाई महावीर : बहन जी, मल्टीपिल प्लाईट सेल्सटैक्स इस वक्त अब है उसके बजाय सिंगल प्लाईट सेल्सटैक्स होना चाहिये, यह बिल हमने बना कर भेजा है। अगर यह कसूर है तो इसके कसूरवार हम जरूर हैं लेकिन आप तो मल्टी प्लाईट और सिंगल प्लाईट सेल्सटैक्स के अन्दर कुछ कंप्यूज कर रही है इसलिये हमने कहा।

श्रीमती सविता बहन : आप अपनी स्पीच को उठा करके देखिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : अब आप खत्म कीजिये।

डा० भाई महावीर : तीसरी बात, महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मंत्री जी ने कही। हो सकता है कि मेरा ध्यान चूक गया हो, उस बात के लिये मुझे खेद है। जो गलती आप भी करेंगे, गलत बोलते जाएंगे, फिर उसके ऊपर चिल्लाएंगे। तो दिल्ली की एक्जीक्यूटिव कौंसिल ने प्रस्ताव भेजा कि फ्री एजुकेशन आ दू हायर सेकेन्डरी—हायर सेकेन्डरी तक निःशुल्क शिक्षा—दी जाए? इसके साथ ही क्या यह प्रस्ताव उन्होंने किया कि नहीं, और अगर किया तो केन्द्रीय सरकार को क्या विचार करने का अवसर मिला, कि भुग्गी-भोपड़ी वालों,

स्लम डूवेलर्स, इन्डस्ट्रियल वर्कर्स सब को जो क्वार्टर्स मिलते हैं उनकी मिल्कियत उनको मिल जाए। (Time bell rings) दूसरी बात यह है महोदय, कि जितनी कालोनीज सरकार ने बनाई रिहैबिलिटेशन के वास्ते डी० डी० ए० की, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की या वर्क्स एन्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री की, और जे० जे० कालोनीज के लिए जिन्होंने किश्त की कीमत चुकाई है उनको उसका मालिक बना दिया जाए, यह प्रस्ताव दिल्ली के प्रशासन ने भेजा कि नहीं? अगर भेजा तो क्या हुआ। ग्रन्डप्लायमेंट अलाउन्सके लिए 2 करोड़ रु० का प्रस्ताव भेजा गया पिछले साल कि आप बेकारों को ग्रांट देंगे। जो दिल्ली को केन्द्रीय सरकार ने दिया है उसी के हिस्से से 2 करोड़ रु० मांगा गया लेकिन केन्द्र ने नहीं माना। एक करोड़ के लोन्स के वास्ते अभी मंत्री जी ने कहा फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने एक स्कीम बनाई है। लेकिन फाइनेन्स मिनिस्ट्री की स्कीम से इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : अब आप समाप्त कीजिए।

डा० भाई महावीर : महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : 5 बजे प्रस्ताव पर कार्यवाही वद हो जाएगी।

डा० भाई महावीर : तो अगली बार कह लूंगा।

श्री ओम् मेहता : अगली बार वेलट होगा।

डा० भाई महावीर : वेलट कैसे होगा? आप यह धांधली चलाना चाहते हैं।

श्री ओम् मेहता : इसमें वेलट करना होता है। बिना वेलट के आगे नहीं जा सकता।

डा० भाई महावीर : ऐसी हालत में मैं और अधिक नहीं कहना चाहता। केवल एक-

[डा० भाई महावीर]

दो बातों का जिक्र मुझे करना है। 12 लाख रु० विधवाओं, वृद्ध पुरुषों और दूसरे लोगों के लिए, अर्पणु लोगों के लिए, देने का प्रस्ताव था, वह स्वीकार नहीं किया। इन्जीनियरिंग कालेज के टेक्निकल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, मैं उस कालेज की गर्वनिंग बाडी में था। उस समय गर्वनिंग बाडी ने उनके वेतन को बढ़ाने के प्रस्ताव दिल्ली एड्मिनिस्ट्रेशन को भेजे। एड्मिनिस्ट्रेशन ने केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है। महीनों से उन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार निर्णय नहीं कर सकी। छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, उनका वेतन सवा सी, डेढ़ सी रुपए हैं और 1947 से उनके वेतन नहीं बढ़े।

ऐसी स्थिति में दिल्ली की कितनी उपेक्षा हो रही है इसको ध्यान में रख कर मैं कहता हूँ इस बिल को स्वीकार करें और ऐसा करके सरकार उदारता का ही परिचय नहीं, अपनी लोकतांत्रिक वृद्धि का परिचय दे सकती है। अगर आपने नहीं दिया तो आप अपने स्थान पर बैठे हुए अपने आप को बड़ी बर्बाई लायक समझते हैं तो मुझे अफसोस है मैं आपको बर्बाई नहीं दे सकता हूँ। इस बात का मुझे खेद है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : The question is :

"That the Bill further to amend the Delhi Administration Act, 1966, be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE FOREIGNERS (AMENDMENT) BILL 1968

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विदेशी अधिनियम, 1946 का सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : अब 5 बज गए हैं।

RE RAJYA SABHA MEMBER ARRESTED AND RELEASED

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : I have to inform Members that the following telegram dated the 24th August, 1972, has been received from the City Magistrate, Kanpur :—

"Shri Prem Manohar Member Rajya Sabha who was arrested on 16th August for Defiance of Prohibitory orders U/S 144 Cr. P.C. was tried by me today 23rd August (—) he was convicted U/S 188 IPC on pleading guilty and released after serving imprisonment till rising of Court (—)

5 P.M.

STATEMENT RE DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT BILL) 1972

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : Sir, I beg to make a statement in connection with the Delhi University (Amendment) Bill, 1972 and the statutes regarding College Councils made by the Executive Council of the University under the authority of the Delhi University (Amendment) Ordinance, 1972 and approved by the Visitor.

Since leave to introduce the Delhi University (Amendment) Bill, 1972 was granted by the Rajya Sabha on August 3, 1972, there have been further consultations on the subject. In view of these consultations, it is necessary to clarify that the proposed amendment of the Act is visualised as being entirely within the framework of the existing character of the University. It is aimed at an administrative reorganisation that will establish a more decentralised system of decision making and sharing of responsibilities by the academic community, help the colleges to perform their academic and other responsibilities more efficiently and expeditiously and enable the University as a whole to devote more time and energy to improve the quality of its academic work.

As may be observed, the additional Statutes already made by the Executive